पत्रिका परिचय

संस्थापक :
ओम प्रकाश चौधरी (लेघा)

सम्पादक मण्डलः
डॉ. ब्रह्मा राम चौधरी
एडवोकेट सूरज भान चौधरी
प्रदीप चौधरी (माचरा)

मुख्य परामर्शी :
हाकम जांगू
गणपतराम सींवर
डॉ. धर्मवीर पचार
डॉ. संजीव राहड़

जनसम्पर्क प्रभारी :
मोहन कस्वां

सम्पादन सहयोगी :
विनोद पूनियां
अश्वनी कड़वासरा

पत्रिका में प्रकाशित लेख संबधित लेखक के स्वयं के विचार है। इनसे प्रकाशक या सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

समस्त विवादों का न्यायक्षेत्र बीकानेर रहेगा।

शिक्षा, रोजगार, समाज सुधार, इतिहास, चिकित्सा, कृषि, आध्यात्म, खेल आदि विषयों संबंधी विद्वानों के लेख पत्रिका में प्रकाशन हेतु आमन्त्रित है।

पत्रिका के प्रकाशन में सहयोग एवं प्रचार-प्रसार हेतु जागरूक स्वयंसेवक आमन्त्रित है।

:: सदस्यता शुल्क ::

दो वर्षीय	:	300 रूपये
दो वर्षीय (चैक द्वारा)	:	350 रूपये

-: कार्यालय :-

''जाट दुनिया''
चौधरी भवन, खादी मन्दिर के पास,
चौतीना कुआं, बीकानेर
दूरभाष नं. : 0151-2205497
मो. 9414429896, 9460502505
www.jatdunia.com

जनसम्पर्क अधिकारी
दिल्ली :-
डॉ. एस.के. कांकरान
अहमदाबाद :-
रामकिशन पूनियां,
रतलाम :-
आशीष चौधरी
जयपुर :-
विवेक चौधरी
जोधपुर :-
नीतू पिलानीया
कोटा :-
उमेश चौधरी
बीकानेर :-
जगन पूनियां
राजेन्द्र चौधरी
नापासर :-
डूंगरमल सहू
लूणकरणसर :-
राजूराम बिजारणियां
मोटा राम रोझ
श्री डूंगरगढ :-
सोहन गोदारा
नोखा :-
लिखमाराम सारण,
मदनलाल सारण
सुड़सर :-
सुरजाराम गोदारा
राजगढ :-
सतवीर पूनियां,
दीपचन्द सहू
तारानगर :-
सुरेश बेनीवाल
भादरा
गदरा :-
महावीर भाकर
नोहर :-
रणवीर जाखड़
धीरवास :-
धनश्याम पचार
जोथडा :-
मोहर सिंह साहरण,
ईश्वर साहरण
चनाण :-
सुरेन्द्र सिंह सरपंच
बीदासर :-
कोडूराम सारण
पल्लू :-
इंद्राज गोदारा

सम्पादकिय

' श्रेष्ठ समाज वह होता है जो सुसंगठित व एकता–समता के संवेदनात्मक सूत्र से बंधा हो। सुसंस्कृत व सुविचारों वाला तथा प्रगतिशील व उदार दृष्टिकोणवाला हो। जिसमें समयानुकूल सुपरिवर्तन करने की क्षमता हो तथा रूढ़िवाद, जड़ता व अन्ध परम्पराओं एवम् विश्वासों से मुक्त हो। सामाजिक उत्थान व विकास के लिए प्रतिबद्ध होने के साथ–साथ भेदभाव, ऊँच–नीच की संकीर्णताओं से विमुक्त हो स्वार्थान्धता, स्वकेन्द्रीयता से स्वतन्त्र व अपनी भावी–पीढ़ियों के उज्ज्वल भविष्य के प्रति जागरूक एवम् सक्रिय हो। जिस समाज का हर जन समाज के लिए समर्पित व हित चिन्तक हो तथा अपने समाज को श्रेष्ट बनाने के लिए कटिबद्ध हो। बालक–युवा, नारी–वृद्ध के प्रति संवेदनशील व कल्याणकारी हो तथा समाज को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने की भावना से संकल्पित हो। समाज के आर्थिक उत्थान के प्रति चिन्तनशील व प्रयासरत होते हुए समाज के सदस्यों का हाथ पकड़ उन्हें ऊँचा उठाने के लिए कार्यरत हो। संक्षेप में समाज के सभी वर्ग पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, व्यवसायिक, प्रशासनिक, राजनीतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक, उद्योग व रोजगार आदि जीवनोपयोगी क्षेत्रों में समाज के निरन्तर विकास तथा प्रगति के लिए चिन्तन व चिन्तायुक्त हो ।

इस कसौटी पर यदि समाज को कसें तो हमारा समाज काफी पिछड़ा हुआ नजर आता है। अपने आप को सबमें श्रेष्ठ और सुसंस्कृत तथा उत्तम आचार–विचार मानने वाला हमारा समाज मोहान्ध स्वार्थान्ध व परम्परान्ध है, भूत–उपासक और स्वप्नजीवी है। हम आचार–विचार–व्यावहारहीन होते हुए भी अपनी श्रेष्ठता व उच्चता का गर्वन–गान करते है। क्या ऐसा करके कोई भी समाज समय के साथ कदम मिला सकता है ? नहीं, उसे अपना आत्म–चिन्तन व आत्म–विश्लेषण करना होगा। आत्म–मंथन से ही अमृत मिल सकता है।

पारिवारिक रूप से हम टूटन–विखण्डन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आंगन में दीवारें बन रही हैं – व्यक्ति आंगन की बजाय अपने कक्ष का हो रहा है। उसका कक्ष उसका परिवार (मैं, पत्नी, बच्चे) ही उसके लिए सर्वोपरि हैं। स्वार्थ सिकुड़ता जा रहा है। मुखिया का नियंत्रण घट रहा है – अनुशासन हीनता बढ़ी जा रही है, मर्यादा, आचरण, संस्कार व खान–पान सब दूषित होते जा रहे हैं। परिवार बिखर रहे हैं। यह हमारे घर–घर की कहानी है। इस पत्रिका द्वारा हमारा प्रयास आत्म मंथन करना है, न कि कोई विवाद उत्पन्न करना।

''पीर पर्वत सी हो गई, अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा उतरनी चाहिए,
बखेड़ा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, मकसद तो यह है कि सूरत बदलनी चाहिए''

आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ पत्रिका का अगला अंक आपके समक्ष प्रस्तुत है आशा ही वरन् पूर्ण विश्वास है कि सहयोग के रूप में आपसे निरंतर सुझाव व लेख प्राप्त होते रहेंगें।

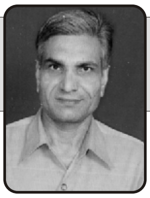

कम्पनी सचिव कैसे बनें ?

-डॉ. आर. एल. चौधरी
व्याख्याता

कंपनी सचिव के रूप में रोजगार न केवल प्रतिष्ठित और लाभकारी है, इसमें कार्य संतुष्टि का स्तर अत्यंत ऊँचा है। इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्पनी सेकेट्रीज ऑफ इण्डिया, भारत में कम्पनी सचिवों के व्यवसाय को विकसित और संचालित करता है। कम्पनी सचिव बनने के लिए तीन चरणों से गुजरना पड़ता है।

1. फाउंडेशन कोर्स — 5 प्रश्नपत्र
2. इंटरमीडिएट कोर्स — 8 प्रश्नपत्र
3. फाइनल कोर्स — 9 प्रश्नपत्र

कम्पनी सचिव पाठ्यक्रम पत्राचार से संचालित है। इसमें हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यम है।

– फाउंडेशन कोर्स के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में ललित कलाओं को छोड़कर किसी भी विषय में 10+2 या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।
– इंटरमीडिएट कोर्स के लिए न्यूनतम योग्यता सीएस फाउंउेशन उत्तीर्ण करना या ललित कलाओं को छोड़कर किसी भी विषय, कला/विज्ञान/वाणिज्य में स्नात्तक है।
– इंटरमीडिएट कोर्स उत्तीर्ण करने के बाद फाइनल परीक्षा होती है।
– इंटर/फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 16 महिने का प्रबंध प्रशिक्षण या व्यावहारिक अनुभव लेना पड़ता है।
– आईसीएसआई और इसकी क्षेत्रीय परिषद तथा शाखाएं सदस्यों और विद्यार्थियों को रोजगार सेवाएं प्रदान करती है। योग्य कम्पनी सचिव के लिए नौकरी और प्रेक्टिस दोनों ही क्षेत्रों मेंरोजगार के व्यापक अवसर है।

कम्पनी सचिव के कार्य एवं रोजगार के अवसरः—

– कम्पनी, कॉर्पोरेट और प्रतिभूति कानूनों में विशेषज्ञ होता ।
– कम्पनी और
  – उसके निदेशक मण्डल – शेयर धारकों
  – सरकार और नियामक प्राधिकरणों के बीच महत्वपूर्ण संपर्क—हेतु।
– कम्पनी का कर्त्तव्यनिष्ठ अन्वेषक होता है।
– कम्पनी का अनुपालन अधिकारी होता है।
– प्रशिक्षित कम्पनी सचिव के लिए नौकरी और स्वतंत्र रूप से व्यावसायिक प्रैक्टिस दोनों ही क्षेत्रों में व्यापक अवसर उपलब्ध है।
– दो करोड़ या उससे अधिक चुकता शेयर पूंजी वाली कम्पनियों के लिए पूर्णकालिक कम्पनी सचिव नियुक्त करना अनिवार्य होता है।
– शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के लिए आवेदन करने वाली सभी कम्पनीयों को पूर्णकालिक कम्पनी सचिव नियुक्त करना पड़ता है।
– संस्थान की सदस्यता केन्द्र सरकार के अन्तर्गत वरिष्ठ पदों और सेवाओं पर नियुक्ति के लिए मान्यताप्राप्त है।
– भारतीय कम्पनी विधि सेवा की लेखा शाखा में ग्रेड—1 से ग्रेड—IV तक के पदों पर भर्ती के लिए संस्थान की सदस्यता एक अनिवार्य योग्यता है।

कम्पनी सचिव एक जानकार व्यवसायी होता है, जिसकी प्रवृत्ति अनुसंधान करने की होती है। इसकी वजह यह है कि वह कॉर्पोरेट कानूनों और कॉर्पोरेट प्रबंधन में कड़े प्रशिक्षण से गुजरने के बाद कम्पनी सचिव बनता है। वास्तव में कम्पनी सचिव आईटीईएस के साथ सूचना प्रौद्योगिकी में भी प्रशिक्षित

होते हैं। प्रक्रियागत प्रशिक्षण और ज्ञान के साथ कम्पनी सचिव आईटी और बीपीओ उद्योग के लिए लागत प्रभावकारिता के साथ ईओयू शॉप स्थापित करने में सफल होता है। वह विदेशी सहयोग और संयुक्त उद्यम समझौतों तथा भौतिक संपदा अधिकारों की भी अच्छी जानकारी रखता है। अतः वह बीपीओ अनुषंगी कम्पनी को मूल्य संवर्द्धित बनाने और भारतीय कम्पनियों को विदेशों में आईटी और आईटीईएस क्षेत्रों में गतिविधियां संचालित करने में सहायता करता है।

अनेक कम्पनी सचिव पहले से अमरीका, कनाडा, ब्रिटेन, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मध्य–पूर्व, अफ्रीका आदि देशो में काम कर रहे हैं। अनुसंधान और कानून में प्रवृत्त मस्तिष्क की बदौलत उनके नियोक्ता उनके व्यावसायिक कौशल को स्वीकार करते हैं। उनमें प्रबंधकीय क्षमता और विश्लेषणात्मक कौशल भी होता है।

सेवाओं के विश्वव्यापीकरण के बाद विभिन्न देशों में कम्पनी सचिवों के लिए प्रैक्टिस के अवसर खुल गए हैं। देशों के कम्पनी सचिवों को कुछ शर्तों के साथ विदेशों में भी मान्यता प्रदान की गयी है। भारत ने जो विश्वव्यापीकरण की प्रक्रिया और व्यापक आर्थिक सहयोग की प्रक्रियाइससे कम्पनी सचिवों का कार्यक्षेत्र विश्वव्यापी हो गया है।

कम्पनी सचिव पाठ्यक्रम संबंधी शिक्षा आज पत्राचार आर मौखिक प्रशिक्षण के जरिए दी जा रही है। इससे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों के वे विद्यार्थी वंचित रह जाते हैं, जो विशेषा संकायों से जुड़े हुए नहीं है। वेब आधारित ई–लर्निंग माड्यूल से विद्यार्थी अपने डेस्क टॉप पर इस विषय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

यह संस्थान अपने सदस्यों को रोजगार सेवाएं उपलब्ध कर रहा है इस सेवा के हिस्से के रूप में संस्थान नौकरी के लिए पंजीकृत सदस्यों का डाटा बैंक तैयार करता है और नियोक्ताओं के अनुरोध पर उपर्युक्त उम्मीदवारों की सूची उपलब्ध करायी जाती है।

यह भी उल्लेखनीय है कि संस्थान के सदस्य प्रबंध निदेशक कार्यकारी निदेशक, और उपाध्यक्ष जैसे प्रतिष्ठित पदों पर आसीन है। कुछ सदस्य सरकारी विभागों और नियामक निकायों में वरिष्ठ पद धारण किए हुए हैं। स्वतंत्र प्रैक्टिस के लिए भी सदस्यों को प्रचुर अवसर उपलब्ध है।

- संस्थान से 'सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस' प्रापत करने के बाद, संस्थान के सदस्य वतंत्र रूप से प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं।
- 10 लाख रूपयों या इससे अधिक परन्तु दो करोड़ रूपये से कम की चुकता शेयर पूंजी वाली प्रत्येक कम्पनी के लिए यह अनिवार्य है कि वह पूर्वकालिक प्रैक्टिस वाले सचिव की सेवाएं अनुबंधित करें, ताकि अनुपालन प्रमाणपत्र जारी किया जा सके।

प्रैक्टिस करने वाला कम्पनी सचिव –

- कम्पनी अधिनियम, 1956
- सेबी अधिनियम, एससीआरए आर डिपोजिटरीज एक्ट के अर्न्तत बनाए गए विनियम आदि
- निर्यात–आयात नीति के अन्तर्गत प्रमाण–पत्र जारी करने और दस्तावेज साक्ष्यांकित करने के लिए अधिकृत होता है।

सदस्यता –

- फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करने और नियमानुसार प्रशिक्षणपूरा करने के के बाद उम्मीदवार को संस्थान के एसोशिएट मेम्बर के रूप में प्रवेश दिया जाता है, और वह अपने नाम के साथ ''एसीएस'' उपाधि का इस्तेमाल कर सकता है।

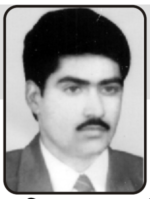

क्रिमिलयर कानून

–विजय गोदारा,
एडवोकेट, बीकानेर
मो.–9414324946

आरक्षण और कानून :–

राजस्थान राज्य में सरकार द्वारा अधिसूचना सितम्बर 28, 1993 द्वारा राजस्थान सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का कानून लागू किया गया। राजस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग का 21 प्रतिशत आरक्षण है, जबकि केन्द्र में अन्य पिछड़ा वर्ग का 27 प्रतिशत आरक्षण है।

राजस्थान के पिछड़े वर्गों की सूची में क्रम सं. 54 पर जाट जाति का नाम अंकित है। (अधिसूचना क्रमांक F11 (125) R&P /सकवि/99/7405 जयपुर दिनांक 03.11.1999)

राजस्थान में केवल अन्य पिछड़ा वर्ग को खुली प्रतियोगिता में ही आरक्षण दिया गया है, एस.सी./ एस.टी. की तरह पद्दोन्नति में आरक्षण नहीं दिया गया है।

आरक्षण की शर्ते –

(1) जो स्तरमान सामान्य अभियार्थियों के लिए निहित है उन्हीं पर किसी खुली प्रतियोगिता में योग्यता के आधार पर भर्ती किये गये पिछड़े वर्ग के अभियार्थियों का समायोजन 21 प्रतिशत के आरक्षण कोटे के प्रति देय नहीं किया जायेगा।

(2) उपर्युक्त आरक्षण इस अधिसूचना के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 3 में उल्लेखित व्यक्तियों/समुदायों पर लागू नहीं होगा। (विस्तृत उपाबद्ध अधिसूचना के साथ अनुसूची में देखें)

क्रीमीलियर कौन ?

क्रीमिलियर के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या प. 9 (8) कार्मिक/क–5 /9 दिनांक 28.09.1993 के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 3 में उल्लेखित उपवर्जन का नियम लागू होता है अर्थात् उक्त अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलियर की श्रेणी में आते हैं तथा उनको सरकारी सेवा में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

आय अथवा धन का मापदण्ड – (दिनांक 02.11.1999 को संशोधित)

(क) दो लाख पच्चास हजार या उससे अधिक की सकल वार्षिक आय वाले या धन कर अधिनियम में विहित छूट सीमा से अधिक धन कमवर्ती तीन वर्षों की अवधि तक रखने वाले व्यक्ति, क्रीमिलियर में आते हैं।

नोट – वेतनों या कृषि भूमि से प्राप्त आय संयोजित नहीं की जावेगी।

(ख) उक्त उपाबद्ध अनुसूची के बिन्दु संख्या 2 में राजकीय सेवाओं में कार्यरत वर्ग–I एवं वर्ग–II स्तर के अधिकारियों पर लागू होने वाले अपवर्जन के नियम वर्णित हैं। पूर्नरक्षित वेतनमान 1998 के अनुसार वर्ग–I व वर्ग–II स्तर के अधिकारियों के संशोधित मापदण्ड निम्न है।

वर्ग–I वेतनमान संख्या 13(8000–13000) से 22(18400–22400)

वर्ग–II वेतनमान संख्या 11(5500–9000) से 12A (7500–12000)

आरक्षण जाति का प्रमाण–पत्र :–

(1) यह प्रमाण पत्र विभिन्न प्रोजनार्थ प्रभावी होगा। यह सम्बन्धित तहसील से तहसीलदार द्वारा प्रापत किया जा सकता हैं इसके लिए प्रफोर्मा भर कर तहसील में आवेदन किया

जाता है।

(2) जिन व्यक्तियों पर क्रीमिलियर लागू नहीं होती है उन्हें क्रीमिलियर लागू नहीं होने का प्रमाण–पत्र दिया जायेगा, जिससे उन्हें नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल सके।

(3) क्रीमिलियर का सिद्धानत राजनिति व शिक्षा के क्षेत्र के आरक्षण के लाभ में बाधक नहीं है।

(4) सर्विस केटेगरी के अधिकारियों को एक बार क्रीमिलियर घोषित करने के बाद उनकी सेवानिवृति होने के बाद भी उनके पुत्र/पुत्री को आरक्षण का सर्विसेज हेतु लाभ देय नहीं होगा।

(5) किसी भी प्रकार से आरक्षित वोट 50प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

विशेष :– <u>आरक्षण में आरक्षण</u>

राजस्थान में जाट जाति को ओ.बी.सी. में आरक्षण मिलने के बाद जातिगत सामाजिक संगठनों ने राज्य में भी दुष्प्रचार कर अन्य पिछड़ी जातियों को जाट जाति के विरूद्ध लाभबद्ध किया एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक कटुता का वातावरण पैदा किया था तथा जाट के प्रति लोगों को भड़काया था। इस तरह की जातिगत कार्यवाहियां अन्य राज्यों में भी प्रभावशाली जातियों के विरूद्ध शुरू की थी जैसे – आन्ध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश एवं बिहार। यह विधि सम्वत् नहीं होने के कारण इसका कोई नतीजा नहीं निकला तथा धीरे–धीरे विरोध भी शक्त हो गया।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यों वाली संविधान पीठ ने आन्ध्रप्रदेश में दलितों के लिए निर्धारित आरक्षण को विभिन्न चार दलित जातियों के बीच उनकी जाति की जनसंख्या के अनुसार बांटने के आन्ध्रप्रदेश सरकार के फैसले को निरस्त कर, सामाजिक संगठनों पर पूर्ण विराम लगा दिया है।

अब अहम बिन्दु विभिन्न मंच द्वारा जाट जाति के विरूद्ध फैलाई गई कटुता को दूर करने का है तथा ग्रामीण क्षेत्रों की अन्य पिछड़ी जातियों को जाट तबके को उन्हें साथ लेकर चलने में ही सबकी भलाई है एवं इसी पर ग्रामीण क्षेत्रों का विकास निर्भर है। फूट डालकर राज करने की सोच करने वाली ताकतों के विरूद्ध संघर्ष करने की आवश्यकता है तथा इन लोगों को जो सामाजिक माहौल बिगाड़ते हैं, उन्हें चुनावों में हराकर सबक सिखाने की आवश्यकता है। जिससे कि गांवा में में सौहार्द्ध पूर्ण वातावरण बना रह सके।

Harish Kumar Bana
(B.D.O.)
M.: 9928088579 (M)
0151- 2234581 (R)

CITY HOUSING FINANCE

Contact for :- Housing Loan, Mortgage, B.T. or Other Lonas

Ground Floor, Arun Hotel, Near Musium Circle, Bikaner

जीना इसी का नाम है - एक चिन्तन

डूंगरमल सहू,
सुरतसिंहपुरा

''किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार,
किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार,
किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार,
जीना इसी का नाम है''।

गाने की यह पंक्तियाँ हम जितने चाव से गुनगुनाते हैं उससे कहीं अधिक इसे अपनी वास्तविक जिंदगी में उतारने से कतराते हैं।

एक बच्चे को जन्म से लेकर अपने पैरों पर खड़ा होने तक उसके परिवारजनों के अलावा पूरे समाज का अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ा योगदान रहता है। जैसे एक डॉक्टर बनने तक बचपन से लेकर 25 साल की आयु तक व्यक्ति अपने परिवारजनों का तो आभारी रहता ही है साथ ही इस अवधि में सुबह से शाम तक रोजमर्रा के जीवन में खान–पान, बिजली, सड़क, स्कूल, कॉलेज, यातायात, पेन, पैन्सिल, कागज किताब, उपकरण का उपयोग कर समाज का ऋणी बनता है, और बाद में जब कभी बात हो तो लोग कहते हैं, हमें समाज ने क्या दिया? हम समाज के लिए क्यों सोचें ?

जरा सोचें क्या बचपन से आज तक और आज से हमारे अंतिम समय तक हम अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं। मैंने कई लोगों को कहते सुना है कि हम समर्थ हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। हमें समाज की जरूरत नहीं। एक दार्शनीक का कथन है ''किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त उपलब्धि कोई मायने नहीं रखती , जब तक की उसे कोई सराहने वाला न हो। उसका परिवार, समाज उसे स्वीकार न करे।''

दिल्ली के एक मनोरोग विशेषज्ञ के अनुसार ''मैं और मेरा की भावना असुरक्षा को प्रकट करती है। अतः इसे एक मनोविकृति भी कहा जा सकता है।''

हमें सदैव याद रखना चाहिए कि प्रकृति ने किसी को भी पूर्ण नहीं बनाया है, सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं।

''नदियाँ न पिए कभी अपना जल,
वृक्ष न खाए कभी अपना फल'' ।

फिर इंसान इतना स्वार्थी क्यों होता जा रहा है। यह बात सही है कि ज्यादातर वस्तुओं का उपयोग करने के बदले वो खर्च करता है परन्तु सारी ऐसी वस्तुओं का उपयोग करता है जिनका वो प्रत्यक्ष रूप से कोई खर्च नहीं करता है। एक बच्चे को 25 साल तक पढ़कर डॉक्टर बनने तक मालूम नहीं कितनी ऐसी सामग्री का उपयोग करना पड़ता है जो ना तो उसने स्वयं और ना ही उसके परिवार जनों ने बनाई थी वो तो वर्षों की मेहनत से किसी ने ईजाद की, जिनका हम उपयोग कर आगे बढ़ते हैं।

समाज के युवाओं से मेरा आग्रह है कि हमें उन सभी समाज व व्यवस्था से जुड़े लोगों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया। वो लोग आज दुनिया में नहीं है परन्तु उनकी मेहनत से हम आज आराम कर रहे हैं। आप विचार करें और जिस तरह किसी और व्यक्ति की मेहनत से आज हमें आराम मिल रहा है वे ही हमारी मेहनत से आने समय में किसी को आराम मिले और हमारी मेहनत किसी के काम आये ।

''मैं'' और ''मेरा'' के सिद्धान्त पर जानवर चलते हैं, जिन्हें सिर्फ खुद का पेट भरने से मतलब होता है। हम स्वार्थी नहीं बनकर समाज के हितों के लिए सोचना चाहिए।

हम स्वार्थी नहीं बनकर किसी के काम में आने के बारे में विचार करें ।

देश जावे भाड़ में थे मौज मनाता रो।
घरवाली के वैलवेट को लोगों लाता रो ।।
परचारां री गाड़ी आई, साथे लाई नोट,
थैली लारे चालबादे गाड़ी भरणा वोट।
पछे पांच साल तक उबा धुड़ों खाता रो,
नेता चोर खाग्या–खाग्या ढोल बजाता रो.....
सेटिगां सचिव सू पटवारी पाळे पेट,
भाइड़ा ने बळबादे तू ले ले थारी रेट ।
दुजा रे फायदा में तीजी टांग फंसाता रो,
गंडका ने लड़ायने मूंछयां ने तरणता रो......
मौत दे तो पड़ौसी ने धन दे तो मैं तैयार,
काम आवे तो धूप ध्यान करू नहीं तो आगे चाल।
सवा रूपिया में देवता ने मूर्ख बनाता रो,
काम निकल्या पछे मूर्तिया रे भाटा बांता रो.....
देश जावे भाड़ में थे मौज मनाता रो ।
घरवाली के वैलवेट को लोगों लाता रो।।

आजादी

—इन्दिरा पूनियां

करे स्वागत आजादी का,
वीर–ऐ–जश्ने आजादी,
शहीदों का सपना रहा है,
अखण्ड भारत रखना है।
वीरों का जतन बना है,
अखण्ड भारत अपना है।
केसर से कश्मीर बना है,
केसर का तिलक करलो
पाक के नापाक इरादे
आज फिर पस्त करदो
भारत मां के वीर जवानों
आज तुम प्रण ये करलो
आतंकवाद से मुक्त करो
भारत मां के रखवालों
चल रही अलगाव की आंधी
इस तुफां को बन्द करो
तुम भारत 'गांव' के वासी
खुद को बुलन्द करलो
कहीं चोरी और डाका कहीं
मार–काट का मेल कहीं,
नकेल डाल दो नाक में इनके
ये खेल अब और नहीं
तिरंगे का रंग बनलो
आजादी के मतवालों
ऊँचा सदा रहे तिरंगा
आज प्रतिज्ञा ये करलो
शहिदों की शहादत को
आज फिर याद करलो
शहादत का कर्ज चुकाओ
वतन के सीमा पहरी बनलो
करे स्वागत आजादी का
वीर–ऐ–जश्ने आजादी

आपके पत्र

'जाट दुनिया' का फरवरी–2007 अंक मिला। सुन्दर कलेवर में सामाजिक पत्रिका देखकर मन आलहादित होना स्वाभाविक था। पुनीत कार्य के लिए आप बधाई के पात्र हैं।

पत्रिका का आद्योपांत अध्ययन किया। सर्वांग दृष्टि से पत्रिका रूचिकर लगी। समाज के श्रेष्ठ रचनाकारों से सम्पर्क कर और श्रेष्ठ रचनाएं आमंत्रित की जा सकती हैं। रचनाओं की गुणवता बढ़ने से पत्रिका की गरिमा और बढ़ेगी। मैं भी रचनात्मक सहयोग देने का प्रयास करूंगा।

श्रेष्ठ पत्रिका के लिए पुनः आपको बधाई और शुभकामनाएं। मेरे योग्य सेवा हो तो निस्संकोच लिख सकते हैं। सभी का राम–राम ।

दुलाराम सहारण
पो. चूरू–331001

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

चेतन राम गोदारा
नोखा

क्या हम नहीं जानना चाहेंगे कि .... ????

- ❖ सरकारी अस्पताल में इलाज मुफ्त क्यों नहीं होता है?
- ❖ राशन की दुकान समय पर क्यों नहीं खुलती है?
- ❖ जमीन के रिकार्ड के लिए चक्कर क्यों लगाने पड़ते हैं?
- ❖ सरकारी भवनों में बढ़िया सामग्री उपयोग में क्यों ली जाती है?
- ❖ विकास के नाम पर सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है?
- ❖ सरकारी विद्यालय में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं है ?
- ❖ पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव क्यों है ?
- ❖ सड़कों पर साल–दो साल में ही गढ्ढें क्यों हो जाते हैं ?
- ❖ हमारे गली–मोहल्ले अथवा वार्ड में साफ–सफाई की व्यवस्था क्यों नहीं है ?
- ❖ पेड़–पौधे, आंगनबाड़ी और अनगिनत योजनाओं पर हमारे नाम से कितने रूपये खर्च हो रहे हैं ?

आज तक इम इन सभी सूचनाओं से वंचित क्यों है ?

जब हम जानना चाहते हैं तो हमें सूचनाऐं नहीं देने के नियम व कानून बताये जाते हैं।

परन्तु अब हमको है ....

सूचना का अधिकार (धारा 2 (ञ) –

लोक सभा द्वारा 11 मई, 2005 को पारित सूचना का अधिकार विधेयक 2005 के अनुसार राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के किसी भी विभाग अथवा कार्यालय से कोई भी नागरिक –

(अ) कार्यों, दस्तावेजों तथा अभिलेखों का निरीक्षण कर सकता है ।

(ब) दस्तावेजों व अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त कर सकता है

(स) सामग्री के प्रमाणित नमूने ले सकता है ।

(द) कम्प्यूटर–इलेक्ट्रोनिक रूप से संधारित किसी भी प्रकार की सूचना की इलेक्ट्रोनिक कॉपी प्राप्त कर सकता है।

विभागों में उपयोगी सूचनाएं (धारा 4 उपधारा 1)

❍ नागरिक अधिकार पत्र ❍ विभाग के क्रिया कलाप व संचालित योजनाएं ❍ योजनाओं के क्रियान्विति व व्यय राशि का पूर्ण विवरण ❍ लाभान्वितों की सूची ❍ बिल, वाऊचर्स व अन्य लेखों का विवरण ❍ ऑडिट रिपोर्ट्स ❍ कार्यरत स्टाफ, वेतन एवं अन्य सुविधाओं का विवरण ❍ कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्त्तव्य ❍ अन्य आवश्यक सूचनाएं।

प्रतिबंधित सूचनाएं (धारा 8)

❍ देश की प्रभुता व अखण्डता राज्य की सुरक्षा ❍ विभागीय लम्बित जाँच ❍ सूचना जिसके प्रकटन से न्यायालय की अवमानना होती हो ❍ सूचना जो किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा के लिए खतरा हो ❍ संसद / राज्य

विधान के विशेषाधिकार ❍ सूचनाएं जो हमारी संवैधानिक प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हो।

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन (धारा 2 अ)

इस कानून के तहत कोई भी नागरिक केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के किसी भी विभाग अथवा पूर्णतया वित्त पोषित गैर सरकारी संगठन से नियुक्त/प्रभारी–लोक सूचना अधिकारी को सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन करेगा। आवेदक को संपर्क के लिए व्यक्तिगत ब्योरे के अलावा कारण बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। (धारा 6 उपधारा 2) फीस (धारा 6 उपधारा 1) सरकार द्वारा निर्धारित फीस का भुगतान कर सूचना प्राप्त की जा सकेगी। वर्तमान में राजस्थान सूचना अधिकार नियम 2001 के अधीन प्रचलित दरें।

❍ सूचना की प्रतियों के लिए –2रू. प्रति पृष्ट ❍ दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए–10 रू. ❍ नमूनें के संग्रहण के लिए–25 रू. प्रति नमूना।

कोई फीस नहीं ली जाएगी – (धारा 7 उपधारा 5 व 6)

(अ) गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों से

(ब) समय सीमा में सूचना उपलब्ध न कराने की स्थिति में

सूचना प्राप्त करने की समय सीमा (धारा 7 उपधारा 1)

किसी भी दशा में केन्द्रीय/राज्य लोक सूचना अधिकारी आवेदन फीस प्राप्ति के 30 दिन के भीतर (सहायक लोक सूचना अधिकारी की समय सीमा 35 दिवस) या तो आवश्यक सूचना उपलबध कराएगा अथवा उपयुक्त कारण सहित अनुरोध को अस्वीकार करेगा। व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधी सूचना अनुरोध प्राप्त होने के 48 घन्टे में उपलब्ध कराई जायेगी।

पैनल्टी (धारा 20 उपधारा)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी बिना किसी उपयुक्त कारण के सूचना प्राप्त करने के आवेदन को लेने से इंकार करता है अथवा जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना देता है या ऐसी सूचना जिसके लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, को नष्ट करता है तो आवेदन–प्राप्त करने के दिन से सूचना दिए जाने के दिन तक प्रति दिन दौ सौ पचास रूपये के हिसाब से व कुल रू. 25000 तक की पैनेल्टी का प्रावधान है। इसके अलावा सूचना आयोग, केन्द्रीय/राज्य लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सिफारिश करेगा।

आपसे अनुरोध है –

सूचना का अधिकार अधिनियम, पूरे देश में लागू हो गया है। अतः सूचना सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र अथवा साधारण कागज जिसमें अधिकारी व कार्यालय का नाम, पता, सूचना का विवरण, समयावधि, प्रत्यक्ष अथवा डाक आवेदक के नाम हस्ताक्षर व स्वयं का पता अंकित हो पर सूचना मांगी जा सकती है।

नशे से मनुष्य का सर्वागिंण पतन होता है

रामगोपाल चौधरी,
पुस्तकालयध्यक्ष

बुद्ध, महावीर, गांधी, भगतसिंह के इस महान देश के नागरिकों और नेताओं ने सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1997–98 में एक लाख अस्सी हजार करोड़ रूपये की शराब पीने का रिकार्ड बनाया है। भारत के नागरिक 300 करोड़ गुटके,17 करोड़ सिगरेट और 44 करोड़ बीड़ी प्रतिदिन सेवन करते हैं। जिनकी कीमत 500 करोड़ रूपये आंकी गयी है। देश में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है और उद्योग धंधे ठप पड़ गये हैं। परन्तु शराब–गुटखा, डॉक्टर–दवा का धंधा जोरों पर है। शराब व तम्बाकू तथा दवाओं की मांग और उत्पादन 20 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। भारतीय संस्कृति के रक्षकों ने संविधान के नीति निर्देशों के विपरीत दिशा में दौड़ते हुए वर्ष भर में शराब बनाने के 317 नये कारखाने लगाये हैं।

फ्री सप्लाई, सर्वे सुलभता और आकर्षक विज्ञापनों के चलते 60 प्रतिशत कानून बनाने वाले सांसद–विधायक और मंत्री 80 प्रतिशत कानून के रखवाले और वाहन चालक, 67 प्रतिशत अधिकारी–कर्मचारी, 40 प्रतिशत गुरूजन और 25 प्रतिशत महानगरों में महाविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी मदिरा पान करने लगे हैं। पत्रकार–साहित्यकार भी अछूते नहीं है। फिल्म उद्योग तो शराब में डूब ही रहा हैं मदिरा पान की दृष्टि से भारत एशिया में प्रथम और विश्व में दूसरे स्थान पर है।

शराब–तन–मन–धन–चरित्र–श्रम और सम्मान सब को स्वाह कर रही है। शराब पीकर माँ–दादा–दादी–पत्नी और बच्चों की हत्यायें करना, कुऐं में कूदना, छत से छलांग लगाना, अधिक जहरीली शराब पीकर, शराब की टंकी में डूबकर मरना, नशे की पूर्ति के लिये परिवार जनों को बेहोश कर रूपये–गहनें, सामान चुराने की शर्मनाक विनाशकारी घटनायें बेशुमार घट रही है। शराब, गुटका आदि सेवन से 5 करोड़ नागरिक प्रतिवर्ष बीमार पड़ते हैं। जिनमें से 30 लाख मर जाते हैं। शराब बनाने में कुल उत्पादन का 20 प्रतिशत खाद्यान्न और तम्बाकू उत्पादन में 30 लाख हैक्टेयर जमीन और 13 लाख पेड़ प्रतिवर्ष नष्ट किये जाते हैं। एक बीड़ी या सिगरेट 4 व्यक्तियों की जरूरत की प्राण वायु पी जाती है। धूम्रपान करने वाले 15 प्रतिशत धुआं स्वयं पीते हैं और 85 प्रतिशत पास में बैठे लोगों को पिलाते हैं। गुटखा खाने वाले जगह–जगह थूक कर पाउच फेंक कर सार्वजनिक गंदगी फैलाते हैं। बच्चों में लड्डू बनाम गुटखा सेवन की प्रवृत्ति इनको तन–मन–बुद्धि से निर्बल बनाने और बाल अपराधों की बाढ़ लाने में काम कर रही हैं

शराब आदि दुर्व्यसनों के कारण देश में हिंसा की, अपराधों की आग बहुत तेजी से बढ़ रही है। अमेरिका के अपराध अनुसंधान ब्यूरो चीफ डॉ0 हटजिंग के अनुसार 80 प्रतिशत हीन और संगीन अपराधों का कारण शराब है। दिल्ली के अपराध ब्यूरों के अनुसार अपराधों में नशाखोरी के कारण तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही है। दुर्व्यसन देखने में तो छोटे लगते हैं पर हंसती–खेलती जिन्दगी में आग लगा देते हैं। दुर्व्यसन एक महामारी है–धीमे जहर है।

तर्ज–चिरमी

बेटी बाबे सा री लाडली,
आ तो, नशेड्यां रे दी वी रे परणाय,
पाके किया जिंदगाणी ।
सुसरो बाई रा घणा नशेड़ी ।२। अे तो,
अमल डोडा खाय, पाके किया जिंदगाणी । बेटी.....
साहिब जी बाई रा घणा नशेड़ी ।२। अे तो,
भांगड़ली रा भांड, पाके किया जिंदगाणी। बेटी.....
देवरियो बाई रो घणो नशेड़ी।२। ओ तो
सब नशां में पास, पाके किया जिंदगाणी। बेटी...
जाट दुल्हे री बीणती ।२। दीज्यो,
नशेड्यां ने रास्ते में छोड़, आछी पाके जिंदगाणी।

–दुलाराम बेनीवाल

नवजात एवं बच्चों में टीकाकरण

–डॉ. ओ.पी.चाहर (एम.डी.)
शिशु रोग विशेषज्ञ
इंचार्ज अणचाबाई होस्पीटल, बीकानेर

पुरानी कहावत हैं बचाव उपचार से बेहतर है। टीकाकरण के लिए यह बहुत ही सटीक है। टीकाकरण से बच्चों में होने वाली बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है, बच्चों को मुख्यतया निम्न टीके लगाये जाते हैं :–

1. बी.सी.जी. – इससे गंभीर किस्म की टीबी से बचाव होता है। इसका टीका बायें हाथ के बुकिये पर जन्म के तुरन्त बाद लगाया जाता है। जो तीन–चार हफ्ते बाद पक्क कर अपना निशान छोड़ता है।

2. पोलियो – पोलियों की दवाई जन्म के तुरन्त बाद पिलाई जाती है तथा बाद में डेढ़ माह पर एक–एक महिने के अन्तराल से तीन बार और दवाई पिलाई जाती है। पहली बुस्टर खुराक तीसरे पोलियेा खुराक के एक साल बाद दी जाती है तथा दूसरी बुस्टर डोज जब बच्चा स्कूल जाने लगे तक पिलानी चाहिए क्योंकि तब वह ऐसे बच्चों के सम्पर्क में आता है। जिनसे बीमारी होने की संभावना हो जाती है इससे पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी से बचाव होता है। पल्स पोलियो की अतिरिक्त खुराक भी समय–समय पर पिलानी चाहिए।

3. डी.पी.टी.– इस टीके से गलघोटू काली खांसी एवं टिटेनस जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव होता है इसके टीके पोलियो की दवाईयों (ड्रोप) के साथ ही दिये जाते हैं।

4. खसरा – इसे ओरी या बोदरी आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसका टीका 9 माह की उम्र पर लगता है। परन्तु अगर खसरा गाँव या मौहल्ले में फैला हुआ है तो एक या दो महिने पहिले भी लगाया जा सकता है।

5. एम.एम.आर. – इस टीके से मिजत्स, मम्स एवं रूबेला से बचाव होता है और यह टीका करीब 15 माह की उम्र में लगाया जाता है।

उपरोक्त सभी टीके/दवाईयाँ एम.एम.आर. के अतिरिक्त सभी सरकारी संस्थाओं में फ्री मिलती है।

उपरोक्त टीकों के अलावा निम्न टीके भी अगर अभिभावक लगा सकते हैं तो लगाना चाहिए क्योंकि यह महेंगे होते हैं तथा खरीदकर लगवाने होते हैं –

पिलिया एवं दिमागी बुखार के टीके – यह टीके डेढ माह की उम्र में डी.पी.टी. तथा पोलियो के साथ ही लगाये जाते हैं इन सभी की तीन–तीन खुराकें होती है।

टाईफाइड – इसका टीका दो साल की उम्र पूरी होने के बाद लगाया जाता है इससे 2–3 साल तक ही बचाव होता है।

चिकनपोक्स – इसका एक टीका एक साल की उम्र के बाद लगाया जाता है एक ही टीका लगता है।

हिपेटाईटिस–ए – इसका भी एक ही टीका लगता है जो एक साल बाद लगाया जाता है।

विषय बातें :–

❊ बच्चों के टीकारण के कार्ड संभाल कर रखें क्योंकि यह स्कूल के एडमिशन तथा बाद में विदेश यात्रा में भी काम आ सकते हैं।

❊ अगर टीके लगवाने की उम्र ज्यादा भी हो गई है तो उसी अन्तराल से टीके लगवाने शुरू करायें अगर टीके का अन्तराल ज्यादा हो गया हो तो पुनः शुरू ना करायें बल्कि पुराने टीके के अलावा जो टीके लगाने बाकी रह गये हैं उन्हीं का लगवाना चाहिए। अगर गलती से एक या दो टीके ज्यादा लगजावे तो घबराने जैसी कोई बात नहीं है। अगर टीकाकरण कार्ड खो गया है तो भी जो कुछ याद है उसी के अनुसार बाकी टीके लगवालें।

❊ डी.पी.टी. के टीके से कुछ बच्चों को बुखार आ सकता है यह एक सामान्य प्रक्रिया है इस बुखार को पानी की पट्टी या पेरासिटामोल गोली से उतारा जा सकता है।

❊ अगर बच्चे को डी.पी.टी. के पूरे टीके लगे हुए हैं तो उसे चोट लगने पर पांच साल तक टीटी का टीका लगवाने की जरूरत नहीं है।

मातायें प्रायः कमजोर बच्चों को टीके लगवाने में आना कानी करती हैं। परन्तु कमजोर बच्चों को बीमारियां ज्यादा होने की संभावनाऐं रहती है अतः कमजोर बच्चों का टीकारण अवश्य करायें।

जाट गौत्रावली

.....पिछले अंक से लगातार

— च —

चग, चंद्रवंशी, चंदावत, चंदी, चंदवा, चनेकर, चरका, चरावीं, चबरवाल, चलकर, चलावरिया, चहारगा, चढ्ढा/चढ्ढा, चवैल, चरानिया, चंदारी, चरखे, चदड़, चंज, चच्चा, चगना, चकोरा, चट्टे, चलसर, चलकसर, चवड़ा चाबूक, चनाव, चहल, चढ्ढान, चचछन, चढ़े, चंघल, चाचड़, चंदोर, चातर, चांगल, चावन, चालुक्यि, चाहियान, चामड़, चाछन्न, चातक, चांद, चाहड़, चाट्टार, चाट, चराज, चामर, चरिया, चाजी, चांदन, चार, चाहर, चांदनी, चाकरा, चाकन, चाकल, चानो, चानी, चाहट, चापोत कट, चामन, चामर, चामड़ा, चितारिया, चिकारा, चिलर, चिकटी, चित्रावड़ा, चिमा, चिना, चिताड़, चिनार, चिरौज, चिमनी चुथन, चुशीया, चुकनी, चुन्हा, चलेह, चुबन, चुकरानी, चेदी, चेकतान, चेबकू, चोबा, चौला, चौरठ, चौजाड़िया, चौधरी, चौरास, चौधराण, चोहान, चोयल, चोकड़ा, चापड़ा, चौकर, चौटिया, चौचा, चुग (98)

— छ —

छंरग, छग, छदल, ठछागा, छपरा, छान, छाबा, छीतर, छिलवाल, छिलर, छिकारा, छिव, छूहान, छोकर, देल, छोलिया, छोकरे, छछर, छरवाल, छिब, दलावरया, छरह, छबरवाल, छोलण (24)

— ज —

जकारी, जगदी, जजारिया, जतराम, जलिहा, जशपाल, जगदेव, जटासरा, जटराणा, जाटू, जईका, जसार, जड़िया, जरवाह, जयाले, जंजार, जत्तू, जनक, जटाली, जमन, जम, जनाल, जमोलिया, जन्मजय, जणावा, जगन, जटोर, जदूवंशी, जगलाना, जभे, जनार, जराल, जन्मेदा, जरारना, जनेर, जगारा, जनदन, जगवोहा, जटाना, जतरानी, जद, जगजोन, जंजी, जंजोहा, जवाली, जरियान, जरिया, जब्बर, जेमी, जरान, जग्गा, जगल, जगांरा, जतारणी, जंटू, जटोला, जरालिया, जही, जजूआ, जटातीर, जरोईया, जहूरी, जेसवाल, जत्तू, जेहू, जतरा, जगवाह, जड़वा, जकारी, जख्खा, जमाल, जगाले, जमोला, जमोलिया, जरीयान, जवरिया, जवार, जटी, जनघरा, जठर, ज्याणी, जवाह, जाखड़, जांघर, जालीदा, जाड़ोदिया, जील, जाड़ी जाथू/जाजू, जांदू, जाली, जारपड़, जाटमाली, जावला, जांघू, जाठरा, जाघड़ा, जाटेजा, जारा, जादूरान, जानी, जामून, जाघरालेणय, जारजीया, जाघर, जादर, जाड़ेया, जाटान, जाघलेन, जाघलान, जालजेनदा, जावो, जाजे, जाजड़ा, जिनही, जियोल, जिंजा, जितरान, जिजवाड़िया, जितरवाड़, जून, जूरा, जूबेर, जूजवाड़ी जूजाड़ा, जुड़ावा, जूलज, जुवाड़िया, हेजू, जेतवार जेसवाल, जोटिड़वाल, जेड़ाली, जोटा, जोहर, जोहर, जोराड़ा, जोहिया,द जोघे, जोधू, जावेलिया, जोरड़ख हेहोत्रा, जोडू, जोझड़ (146)

— झ —

झटियानी, झल्ली, घघोटिया, झांझर, झाघरी, झाना, झाटी, झन्कार, झमट, झंझ, झार, झांसी, झाखान, झांझाड़ा, झंडू, झरिया, झावली, झांदर, झाझड़िया, झाला, झाख, झीझा, झीलख, झून, झूरिया, झोझरा, झाझड़िया, झोरड़ा, झोरड़ (33)

शेष अगले अंक में....

घोड़े की ताकत से बुलंदीयों की ओर अग्रसर - विजय चौधरी

किसी ने ठीक ही कहा है कि अगर हौंसले हो बुलंद और ट्टिट हो विश्वास तो कठिन से कठिन कार्य भी सहजता से हो सकता है, उक्त पक्तियाँ बीकानेर के 20 वर्षीय विजय चौधरी (नैण) पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं श्री राम गोपाल नैण के सुपुत्र विजय चौधरी का मैदान में घोड़े से तालमेल देखने को बनता है, चाहे घोड़े को जनम करवाना हो या तेज दौड़ाना, विजय का इस बेजुबान पर गजब का कमाण्ड है। बीकानेर के एनसीसी कैडेट्स ने अपना एक मुकान बना चुके विजय की जितनी मजबूत पकड़ घुड़सवारी पर है उतनी ही अन्य खेलों में भी है।

मध्य प्रदेश में आयोजित हिन्दी डीबेट प्रतियोगिता (आईपीएससी) 2002 में गोल्ड मैडल, महाराष्ट्र में एआईएसएसएस 2003 में सिल्वर मैडल, दिल्ली में आरकेपुरम 2000 में गोल्ड मैडल, अजमेर मिल्ट्री स्कूल गोल्डन जुबली डीबेट प्रतियोगिता एवं राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताओं में गोल्ड और सिल्वर मैडल हासिल किए हैं। ऑल इण्डिया बेस्ट राईडर ट्रॉफी में रनरअप रहे विजय गत दिनों गणतंत्र दिवस को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिनिधित्व करके आए हैं। पिछले दिनों हमारे प्रतिनिधि ने घोड़े की रफ्तार को हकीकत में बदलने वाले विजय से कुछ यूं मुलाकात की :–

1. अपने परिवार व अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताइए –

– हम गंगानगर के लाधुवाला गांव से संबंध रखते हैं। पिताजी की बीछवाल एवं खारा में फैक्ट्री है। मेरी दो बहनें डॉ. किरण चौधरी गजनेर एवं डॉ. श्वेता चौधरी कोटा में नियुक्त हैं। मम्मी ग्रहणी है।

मैंने प्राथमिकता शिक्षा जीसैस एण्ड मैरी स्कूल से हासिल कर सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से उच्च माध्यमिक की परीक्षा पास की है। वर्तमान में मैं डूंगर कॉलेज से कला वर्ग में स्नात्तक की परीक्षा दे रहा हूँ।

2. घुड़सवारी का शौक कैसे लगा ?

– इसका श्रेय मैं अपने बंसत भैया का दूंगा, जिन्होंने मुझे सैनिक स्कूल में जाने के लिए प्रेरित किया, जहां एन.सी.सी. आवश्यक होने के कारण मुझे अनुशासन की सीख मिली, जो घुड़सवारी में बेहत आवश्यक है। खेल में मेरा रूझान शुरू से ही रहा है। बीकानेर में आने के बाद भैया ने और बलराज जी पूनियां ही मुझे घुड़सवारी के लिए भी प्रेरित है।

3. आपको घुड़सवारी करते कितना समय हो गया ?

– बीकानेर आने के बाद लगभग ढाई साल से।

3. आपको घुड़सवारी करते कितना समय हो गया ?

– बीकानेर आने के बाद लगभग ढाई साल से।

4. एक बेजुबान के साथ ताल–मेल बिठाने में कठिनाई नहीं होती ?

– जी हां, ,खेल की यह खासियत ही इसे अन्य खेलों से अलग करती हैं इसमें आपको अपने हुनर और एक बेजुबान जानवर को समझते हुए अपना प्रदर्शन करना है। आपकी सफलता 80 प्रतिशत तक आपके और घोड़े के मध्य ताल–मेल पर निर्भर करती है। घोड़े से जबरदस्ती करके हम कभी प्रतियोगिता नहीं

जीत सकते । संभव है घोड़ा आखिरी समय में आपके आदेश मानने से मना कर दे और आप प्रतियोगिता से बाहर हो जाएं।

5. घोड़े से लगाव बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं ?

— हम घोड़े को दाना, चना, जौ, हरी घास, गाजर, गुड़ और दुध अपने हाथों से देते हैं। उसकी मालिश भी हम खुद करते हैं जिससे घोड़े से जुड़ाव बढ़े। अच्छा करने पर घोड़े को थपथपी देना या कुछ खिलाना और गलत करने पर हल्का स्टिक से माना इसमें शामिन है, पर हा मिराज जैसे घोड़े पर स्टीक काम में नहीं ली जा सकती। स्टीक लेकर यदि आप उसकी सवारी करेंगे तो शायद वो आपकी आखिरी सवारी हो।

6. कोई ऐसा वाक्या जो हमसे शेयर करना चाहें ?

— हाल ही 27 जनवरी, 2007 को मुझे गैरीसन परेड ग्राउण्ड, दिल्ली में आयोजित प्रधानमंत्री रैली में बिना किसी सहारे के घोड़े पर सीधा खड़ा होकर प्रधानमंत्री जी को सलामी देनी थी। घोड़ा 120 किमी/घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा था और मैं उस पर सीधा खड़ा था, कि तभी घोड़ अपनी लाईन छोड़कर सीमेंट के रैम्प की तरफ दौड़ने लग गया। घोड़े की इस गल्ती से मेर हाथ पांव फुल रहे थे क्योंकि मैं जानता था कि यदि घोड़े का पांव सीमेंट की रैम्प पर आ गया तो वो तुरन्त फिसल जाएगा और मेरा क्या हाल होगा ये आप समझ सकते हैं। मैं चाह कर भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि घोड़े की लगाम मेरे हाथ में नही थी। तभी अचानक घोड़े ने दौड़ते हुए रैम्प से ठीक पहले जम्प किया और अपनी लाईन पर आ गया और मेरी जान में जान आई।

7. आप अपना आदर्श किन्हें मानते हैं ?

— मेरे आदर्श मेरे पिताजी हैं। पर सही मायने में मेरा परिवार ही मेरा आदर्श है। जिसमें मेरे पिताजी की कुछ खास भूमिका है।

8. क्या कारण है कि हमारे समाज के बहुत कम बच्चे इस खेल में है ?

— मुख्यतया तो जानकारी का अभाव है। फिर यदि आप अपने स्तर पर खेलते हैं तो यह बहुत महंगा होगा। एनसीसी कैडेट बनकर ही आप इसमें बेहतर कर सकते हैं। राजस्थान मं सिर्फ बीकानेर में ही एनसीसी द्वारा घुड़सवारी का प्रशिक्षण दिया जाता है।

9. आापको कभी समाज का सहयोग रहा ?

— (हंसते हुए) कुछ खास नहीं। परन्तु अब जो आप दे रहे हैं वो काफी खास है। वास्तव में हर प्रतिभा को अपने क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है, जिसका हमारे समाज में खासा अभाव है। मुझे विश्वास है पत्रिका के माध्य से आपका यह प्रयास न सिर्फ प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करेगा बल्कि इससे हमारे में नई जागृति उत्पन्न करेगा।

10. घुड़सवारी के अतिरिक्त और किन खेलों में आपकी रूची है ?

— विद्यालयों की प्रतियोगिता में मैंने राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल, बॉलीबॉल, बास्केट बॉल, के लिए राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है। डीबेट कम्पीटीशन में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में गोल्ड मैडल हासिल किये हैं। 5 साल मैंने जिम्नास्टिक भी की है।

11. भावी योजनाएं क्या है?

— मेरी इच्छा आर्मी जोइन करने की है।

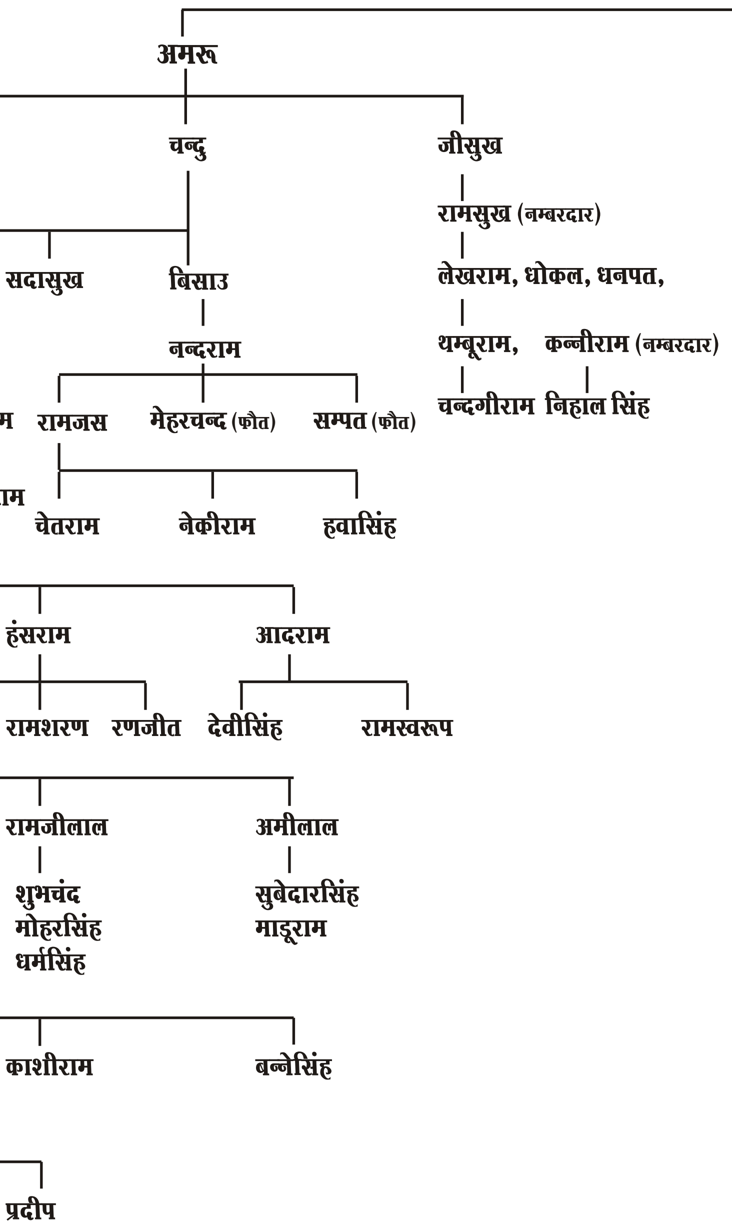
अमरू
चन्दु
जीसुख
रामसुख (नम्बरदार)
लेखराम, धोकल, धनपत,
थम्बूराम,
कन्नीराम (नम्बरदार)
चन्दगीराम
निहाल सिंह
सदासुख
बिसाउ
नन्दराम
म
रामजस
मेहरचन्द (फौत)
सम्पत (फौत)
ाम
चेतराम
नेकीराम
हवासिंह
हंसराम
आदराम
रामशरण
रणजीत
देवीसिंह
रामस्वरूप
रामजीलाल
अमीलाल
शुभचंद
मोहरसिंह
धर्मसिंह
सुबेदारसिंह
माडूराम
काशीराम
बन्नेसिंह
प्रदीप

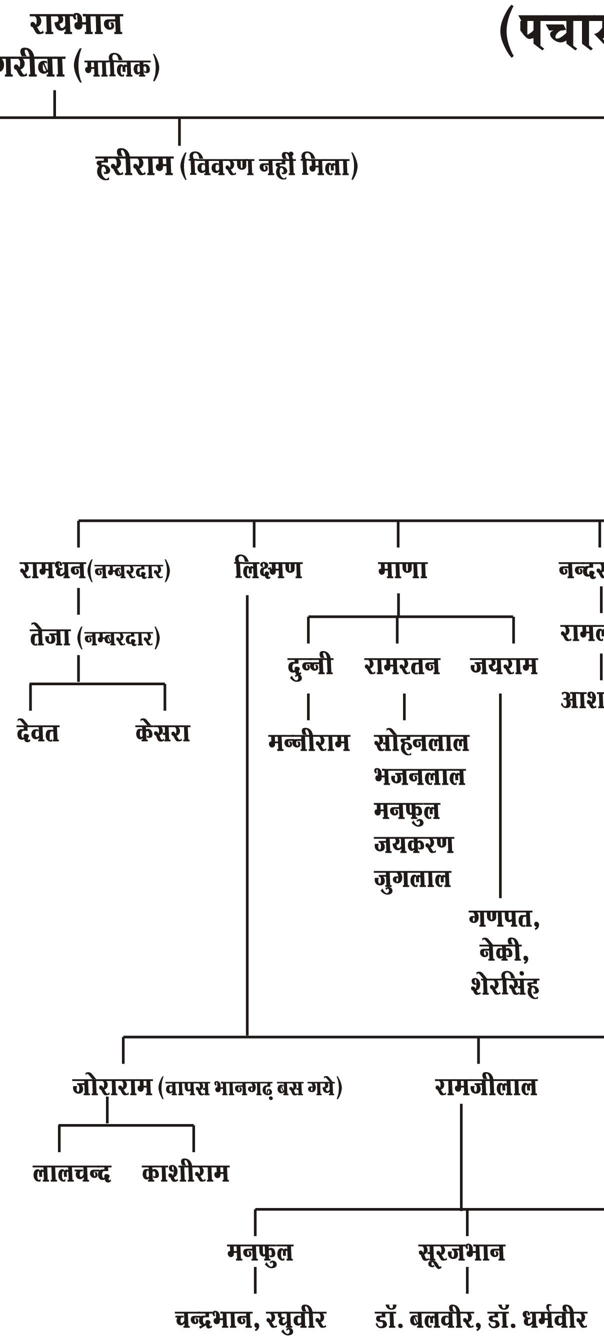
(पचार
रायभान
गरीबा (मालिक)
हरीराम (विवरण नहीं मिला)
रामधन(नम्बरदार)
लिक्ष्मण
माणा
नन्द
तेजा (नम्बरदार)
देवत
केसरा
दुन्नी
रामरतन
जयराम
रामल
आश
मन्नीराम
सोहनलाल
भजनलाल
मनफुल
जयकरण
जुगलाल
गणपत,
नेकी,
शेरसिंह
जोराराम (वापस भानगढ़ बस गये)
रामजीलाल
लालचन्द
काशीराम
मनफुल
सूरजभान
चन्द्रभान, रघुवीर
डॉ. बलवीर, डॉ. धर्मवीर

स्व. श्री ताराचंद चौधरी

- पुण्य तिथी 12-03-1958

–डॉ. ब्रह्माराम चौधरी

श्री ताराचन्द चौधरी का जन्म गांव मकासर जिला हनुमानगढ़ के एक राष्ट्रवादी श्रमजीवी किसान परिवार में 6 जून 1913 को हुआ। तारचंद पुलिस में अपनी बहादुरी व इमानदारी के कारण जाने जाते थे। बचपन में ही अपने पिताश्री का साया नहीं होने के बावजूद भी आपने स्वयंपाठी छात्र के रूप में 1930 में पंजाब विश्वविद्यालय से 10 पास की। स्वतंत्र भारत की आजादी का प्रथम दशक उतार चढ़ाव का रहा उस समय डाकु समस्या राजस्थान के मरूस्थल में विकल रूप ले चुकी थी। डाकु उन्मूलन करके वे ग्रामीण जनता को सुरक्षा प्रदान करन`में सफल रहे लेकिन इसके लिए आपने अपना जीवन का ही होम कर दिया।

उन्होंने 100 से अधिक मुकाबले डाकुओं और असामाजिक तत्वों से किये जिसमें अनेक डाकु मारे गये। आप 1935 में बीाकनेर थानेदार के पद पर आपका चयन हुआ तथा 1944 में इस्पेक्टर के पद पर पद्दोन्नति हुई। 1948में डी.एस.पी. बने और 1951में पुलिस अधिक्षक के पद पर कार्य करते हुए आप 12 मार्च 1958 को 49 वर्ष की उम्र में डाकुओं से संघर्ष करते हुए शहीद हो गये।

कृमयोगी शहीद ताराचंद भगवत गीता अपने साथ रखते थे उनका विश्वास था ''करणी ता करणी भरणी भी भरणी है भावना के सागर में दयां ही तरणी है।'' वे इतने दयावान थे कि 1952 में चुरू जिले के डाकु भंवरसिंह के गांव में जाकर जब उसे रात 2 बजे गिरफ्तार किया तब आपकी अर्धाग्निी (पत्नि) रोने लगी उनकी डायरी मे लिखित है कि ''वह गरीबी व पति के कारनामों को कौसती रही मैंने उसे अनाज खरीदने के लिए 5 रू दिये मनुष्यता की सेवा करन में ही सर्वोच्च आनन्द की प्राप्ति होती है।'' सच तो यह है कि सामन्तवाद के उस घिनोने काल में ऐसे मानवता वादी पुलिस अधिकारियों ने नयी पीढ़ी को सद्बुद्धि से चलने के लिए प्रेरित किया'' कुबुद्धि बदल गये ऐसी हुई जीतरे भारत में पैदा हुए आदमी के मीतरे''

उन्होंने अपने सम्पूर्ण जीवन में मानवता को उठाने के लिए गीता के कृम करो और फल की इच्छा मत रखो कि सिद्धान्त की पालना की ।

इनके पुत्र धर्मपाल चौधरी भूतपूर्व आई.ए.एस. सामाज सेवा में अपने पिता की तरह ही संलग्न है।

Er. P.L. Bhadoo
B.E. (Civil), M.E. (Structure), F.I.V.(LM), L.L.B.

Mob.: 94142-53358
0151-2528909 (O)
0151-2232401 (R)

- Registered Valuer : Income Tax
- Approved Valuer (L.I.C. & Banks)
- Estimator, R.C.C. Designer
- Planner & Contractor

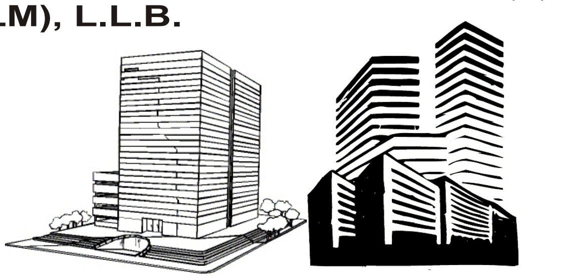

Resi. :- 4-D-106, J.N.V. Colony, Bikaner.
Office :- 6, Sohan Kothi, Near Ambedker Circle, Honey Ice Factory, Bikaner

भीमसेन चौधरी सर्किल बनाम उरमूल सर्किल

राकेश डेलू,
लूणकरणसर।
मो.-94601-00466

आज फलां घटना उरमूल सर्किल पर घटी, आज उरमूल सर्किल पर ऐसा हो गया, आज उरमूल सर्किल पर वैसा हो गया। इस प्रकार की पंक्तियाँ समाचार पत्रों में या आम बोलचाल की भाषा में मैंने और आपने कई बार पढ़ी और सुनी है, । मगर मुझे आज तक बीकानेर में उरमूल सर्किल कहीं नजर नहीं आया। क्या आप जानते हैं कि बीकानेर में कहां है उरमूल सर्किल ?

कहीं यह वही सर्किल तो नहीं जिसके चारों तरफ लगे बोर्डो पर बड़े–बड़े अक्षरों में ''भीमसेन चौधरी सर्किल'' लिखा है, जिसके एक तरफ स्व. भीमसेन जी की प्रतिमा लगी है ? यदि हां, तो यह हमारे लिए बड़े ही शर्म की बात है कि बीकानेर शहर में हमारे समाज के एकमात्र विभूति के नाम पर रखे चौराहे को दूसरों के साथ–साथ हम भी किसी अन्य नाम से प्रचाररित और प्रकाशित करवा रहे हैं।

हालांकि आदरणीय भीमसेन जी का नाम अपनी पहचान के लिए किसी सर्किल का मोहताज नहीं है। मगर फिर भी उनके नाम पर आधारित वस्तृ–स्थान का नाम क्यों बिगाड़ा जाए ? हम सभी जानते हैं कि सारे समाज ने एकमत हो कर इस चौराहे पर भीमसेन जी की प्रतिमा स्थापित कर इसका नामकरण उनके नाम पर करवाने में भरपूर सहयोग किया, उस समय भी कई वर्ग विशेष के लोगों को इससे आपत्ति थी। वे नहीं चाहते थे कि यहां पर भीमसेन जी की प्रतिमा स्थापित हो और जब लम्बे संघर्ष के बाद हम इस प्रतिमा को चौराहे पर लगाने और उसका नामकरण हमारे जनप्रिय नेता भीमसेन जी के नाम से करवाने में सफल हो गए तो आज हम ही इस नाम को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि इस सर्किल का नाम किसी अन्य समाज की विभूति के नाम पर होता तो उसका गलत नाम लेने और प्रकाशित करने का दुस्साहस न तो हमारा मीड़िया करता और न ही आमजन। फिर ऐसा क्यों? शायद इसका बड़ा कारण हमारे समाज में एकता व समाज के प्रति जागरूकता का अभाव या अशिक्षा और निम्न स्तर की राजनीति के साथ–साथ छोटे–मोटे स्वार्थो के लिए आपस में लड़ना है।

बीकानेर के प्रतिष्ठित समाचार–पत्रों में समय–समय पर मैंने स्वयं जाकर इस पर आपत्ति दर्ज कराई कि अखबारों में भीमसेन चौधरी सर्किल का नाम उरमूल सर्किल क्यों प्रकाशित किया जा रहा है ? परन्तु किसी एक के आपत्ति करने से इसमें सुधार नहीं होगा। इसके लिए हम सभी को व्यक्तिगत रूप से आगे आकर इस गल्ती सुधारने को संकल्पबद्ध होना पड़ेगा ।

मैं चाहूंगा कि आज हम सभी प्रण कर लें कि आज के बाद हम स्वयं तो तथाकथित उरमूल सर्किल को भीमसेन चौधरी सर्किल बोलेंगे ही बल्कि जब भी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी इस सर्किल का गलत नाम बोला जाता है तो नम्रता पूर्वक इस गल्ती को दुरस्त करवाऐंगे, साथ ही जब भी कभी समाचार–पत्रों में उरमूल सर्किल लिखा पढ़ने में आए तो संबंधित समाचार–पत्र से व्यक्तिशः मुलाकात कर/दूरभाष पर बात कर या पत्र लिखकर उक्त त्रुटि सुधारने का अनुरोध करेंगे। जब तक हम सभी मिलकर इस मुद्दे पर अपनी आपत्तियाँ दर्ज नहीं करवाऐंगे तब तक हमारे पूर्वजों के नाम इसी तरह किसी अन्य नाम से धूमिल करने के प्रयास किए जाते रहेंगे। हमारा यह संकल्प आदरणीय भीमसेन जी को सच्ची श्रद्धांजली होगा।

कैंसर से बचाएंगे आर्गेनिक फूड

–विजय चौधरी
खारा औद्योगिक क्षेत्र
98287–71833

अगर आप अपने स्वास्थ्य के प्रति कुछ ज्यादा ही सचेत रहने वालों में से हैं तो रोजाना के भोजन पर भी जरा गौर फरमाना शुरू करें। खाने में बढ़िया लगने वाला चावल आपको कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी दे सकता है। तीखी मिर्च आपके गुर्दों को बर्बाद कर सकती है तथा राजमा आपकी नंपुसकता का कारण बन सकता है।

इन रोगों से बचने के लिए अगर कोई उपाय है तो वह है जैविक (आर्गेनिक) खाद्य पदार्थों को अपने रोजमर्रा के भोजन में शामिल किया जाए। वैज्ञानिकों का मानना है कि रसायनिक खाद के प्रयोग से पैदा हुए चावल दिखने में चावल होते हुए भी वास्तव में कार्बोफूरान केप्टान इथीयोन बन जाते हैं। मिर्च डाएकोफोन एल्डीकार्ब माइरेक्स हो जाती है तथा राजमा कार्बोरिल रसायनिक पाइरेथ्रइट थायरम बन जाता है। ये और ऐसे अनेक खाद्य पदार्थ अनजाने में ही आपके जीवन को संकट मे डाल देते हैं। राजथान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि आपके रोजमर्रा के भोजन को रसायनिक खाद और कीटनाशक विषैला बना देते हैं। यह जहर रोज आपकी सेहत पर हमला करता है। इससे दमा, नजर की कमजोरी, चर्मरोग और ब्लड प्रेशर जैसे रोग तो होते ही हैं, गुर्दे, जिगर और दिमाग पर भी गहरा असर पड़ता है। वैज्ञानिकों के अनुसार खाद्य पदार्थों में हुए इस रसायनिक प्रदूषण के कारण न सिर्फ नंपुसकता और कैंसर भी हो सकता है बल्कि आने वाले शिशुओं में जन्मजात रोगों का खतरा भी बढ़ जाता है। राजस्थान के किसान पिछले चार–पाँच वर्ष से आर्गेनिक गेहूँ की फसल अपने खेतों में उगा रहे हैं। गांवों के किसान अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए जैविक गेहुँ की अपनी फसलों को बेच नहीं रहे हैं वरन् भविष्य के लिए खुद के लिए संचित कर रहे हैं। देश के अन्य राज्यों में भी जैविक खेती का क्रेज किसानों में बढ़ता जा रहा है। देश में गेंहूँ, चावल, दालें, मिर्च, हल्दी, मक्की आदि की खेती जैविक कृषि के माध्यम से की जाने लगी है। कृषि वैज्ञानिक जैविक खेती की फसल को स्वास्थ्य की दृष्टि से बिल्कुल सुरक्षित मानते हैं।

वैज्ञानिकों के अनुसार ये पदार्थ नुकसानदेह रसायनिकों से एकदम मुक्त होते हैं। इनकी फसलों को केवल प्राकृतिक तरीकों से उगाया जाता है। उसमें रसायनिक खाद और रसायनिक कीटनाशक के स्थान पर कम्पोस्ट गोबर की खाद और प्राकृतिक कीटनाशक नीम, हल्दी, मिर्च आदि का प्रयोग किया जाता है। खेत जोतने से लेकर खाने में प्रयोग तक इन खाद्य पदार्थों को नुकसानदेह केमिकल्स से मीलों दूर रखा जाता है। जैविक खेती के जरिये उत्पादन में बढ़ौतरी भी होती है।

यदि सरकार दूरगामी दृष्टि रखते हुए जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अभियान शुरू करें, तो किसान इसी ओर प्रवृत होता। फिर, जैविक खेती तो हमारे यहाँ हजारों वर्षों से होती आई हैं। इसके प्रति बस केवल पुनर्विश्वास पैदा करने की जरूरत है। इससे न केवल खेती की लागत कम होगी बल्कि जल, जमीन भी दूषित नहीं होंगे और न ही कीटनाशकों के कारण होने वाली बीमारियाँ फैलेगी और हमारा स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहेगा।

गांव-मालासर

ग्राम मालासर बीकानेर जिला मुख्यालय से 38 कि.मी. दूरी पर गंगानगर हाइवे परस्थिति जामसर से 10कि.मी. पक्की लिंग सड़क पर बसा हुआ है। प्राइवेट बसों से आवागमन होता है। 3000 की जनसंख्या वाला गांव मालासर में जाट जाति की गौत्र गौदारा की बाहुल्यता हैं जाट जाति के अन्य गौत्र सींवर, ज्याणी, कूकणा के अलावा ब्राह्मण, सिद्ध, नाई, नामक, मेघवाल, सांसी जाति के परिवार तथा सारस्वत ब्राह्मणों के 40 घर भी हैं।

लोक चर्चा के अनुसार ग्राम मालासर पहले गांव के उत्तर दिशा में कुंतलेरा नाम के गांव बसा हुआ था। डांडूसर से आए कुन्तोजी ने इसे बसाया था। इस गांव में उस समय डालमजी नाम के एक बहुत ही धार्मिक एवं दयावान व्यक्ति निवास करते थे। डालमजी के दो केटियांथी जो एक साथ कुए से पानी लाती थी। एक दिन वे दोनों बहनें पानी लेने के लिए गई तो चड़स खाली करने वाले जिसे सेवो कहा जाता है, न व्यंग्यात्मक शैली में कहा कि डालमजी वाले गौधे आ गए हैं। इतना कहने पर वे दोनों बहने यह कहकर रवाना हो गई कि अब कुआं जोत लेना। उनका इतना कहने पर कुआं अन्दर से धंस गया और कुन्तलेरा गांव में पानी का भारी संकट पैदा हो गया। गांव के लोगों ने एक और पानी खोदा परन्तु उसमें भी खारा पानी आया। लोग हताश होकर डालमजी के पास गये तो उन्होंने कहा कि कुन्तलेरा गांव की रोई में श्राप दिये जाने के कारण मीठा पानी नहीं मिलेगा, गांव से दो किलोमीटर दक्षिण मे लाडेरा की रोही में कुआं खोदने पर पानी मिलेगा। गांव वालों ने लाडेरा की रोही में कुआं खोदा तो मीठा पानी निकला । सर्वप्रथम कुन्तोजी के भतीजे मालोजी ने अपना घर यहां बनाया और उन्हीं के नाम से मालासर गांव बसा। बाद में कुन्तलेरा के सभी घर यहां बस गये। जो लगभग 600 वर्ष पुराना बताया जाता है। गांव में गोदारा व ज्याणी जाट जसनाथ संप्रदाय के हैं। जसनाथी धर्म की पालना करते हैं। गांव में जसनाथ जी का बहुत पुराना मन्दिर है जो गांव बसने के समय का है। इस मन्दिर में सात जीवित समाधियां भी है, इमने डालमजी एवं सत्ती की समाधियां प्रमुख है। डालमजी को गांव के लोग पानी देने वाले के रूप में याद करते हैं। जहाँ दूरदराज के प्रान्तों से श्रद्धालू धोक लगाने आते हैं। जसनाथ संप्रदाय के 36 धर्मों का पालन करने वाले लोगों में गांव की सीमा के अन्दर शिकार करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध है। मृत्युभोज जैसी कूरीतियां गांव में बन्द की दी गई है। बाल विवाह दहेज प्रथा पर भी धीरे–धीरे बढावा दिया जा रहा हैं गांव में एक उच्च प्राथमिक व एक प्रावईवेट स्कूल भी है वर्तमान पीढी के 90 प्रतिशत बच्चों को पढ़ाई पर जोर दिया जा रहा है। गांव में आयुर्वेदिक औषधालय, सड़क, बिजली, पानी, दूरभाष, मोबाइल, विद्यालय, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बैंक, डाकघर सुविधाएँ भी है। गांव का मुख्य धन्धा कृषि आधारित है। आंशिक नहरी क्षेत्र के अलावा बारानी क्षेत्र में कृषि होती है पशुधन भी सहायक धन्धा है।

श्रीमती शान्ति देवी वर्तमान में इस पंचायत की सरपंच है। इनके पति हनुमान गोदारा सहायक जिला रसद अधिकारी के पद से सेवा निवृत हुए हैं। श्रीमति शान्ति देवी के कार्यकाल में पोषाहार कार्यक्रम को सुचा करने के लिए पक्के रसोई घरों का निर्माण, स्कूल भवन में कमरों का निर्माण, वर्षा पानी ईकट्ठा करने के लिए जल कुण्डों का निर्माण, आयुर्वेदिक औषधालय में पानी की सुविधा। तथा मरिजों के लिए शौचालयों का निर्माण, मोहल्लों में पानी की सुविधा हेतु नल स्टेण्डों का निर्माण तथा गांव में बालिका विद्यालय, पशु चिकित्सालय एवं गन्दे पानी के निकासी हेतु निर्माण करवाना सरपंच की प्राथमिकताओं में है। गांव से 1 इन्जीनियर, 1 अध्यापक, 1 पटवारी, 3 पुलिस, 3 नहर विभाग, 1 विद्युत विभाग, 1 उरमूल डेयरी में कार्यरत है। गांव के गंगाराम गोदारा लम्बे समय तक सरपंच रहे, तारूराम जयाणी दो बार सरपंच एक बार डायरेक्टर पंचायत समिति, बीकानेर। 30 वर्षों से ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष हैं।

––भगवानराम ज्याणी

समाज की महत्वपूर्ण समितियाँ/संगठन/ट्रस्ट

1. अखिल भारतीय जाट महासभा, दिल्ली
1. अध्यक्ष, श्री द्वारा सिंह 2. महासचिव श्री युद्धवीर सिंह

2. महाराजा सूरज मल शिक्षण संस्थान, नई दिल्ली
1. अध्यक्ष, श्री राम निवास मिर्धा 2. महासचिव श्री एस.पी.सिंह

3. विश्व जाट आर्यन फाउण्डेशन, नई दिल्ली 617, ब्लॉक, रंगपूरी, एन.एच. 8, दिल्ली।
1. अध्यक्ष, डॉ. साहिब सिंह वर्मा 2. उपाध्यक्ष, श्री बद्रीप्रसाद ढाका, संयोजक, राज.
3. महासचिव, श्री आर.एन. महलावत

4. स्वामी केशवानन्द शिक्षण ट्रस्ट – 1. संरक्षक, डॉ. ज्ञानप्रकाश पिलानिया 2. अध्यक्ष, श्री धर्मवीर चौधरी

5. चौ. बहादूर सिंह समाज जागृति ट्रस्ट, संगरिया
1. श्री पी.पी. सिंह अध्यक्ष 2. श्री राधाकृष्ण चौधरी, महासचिव

6. स्वामी केशवानन्द ग्रामोत्थान विद्यापीठ, संगरिया – अध्यक्ष, श्री अजय सिंह घोटाला

7. बालिका शिक्षण संस्थान ट्रस्ट, बनीपार्क, जयपुर – अध्यक्ष, डॉ. हरी सिंह

8. तेजाजी महिला शिक्षण संस्थान ट्रस्ट, मुण्डवा, नागौर – अध्यक्ष, श्री भंवर सिंह डागाबास

9. ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान ट्रस्ट, सीकर – अध्यक्ष, श्री चेन सिंह आर्य

10. राजस्थान जाट महासभा, 5, डी.विला, स्टेशन रोड़, जयपुर
1. अध्यक्ष, श्री राजाराम मील 2. महासचिव, श्री सुखदेव आर्य

11. राजस्थान जाट समाज संस्थान, मुरलीपुरा, जयपुर
1. अध्यक्ष, श्री ताराचन्द चौधरी 2. महासचिव, श्री राम सिंह

12. जयपुर जाट समाज समिति, जयपुर – 1. अध्यक्ष, श्री बद्री प्रसाद ढाका 2. महासचिव, श्री पूरण सिंह

13. मानसरोवर–सांगानेर जाट समाज समिति, मानसरोवर, जयपुर
1. अध्यक्ष, श्री कानाराम चौधरी 2. महासचिव, श्री बद्री प्रसाद ढाका

14. श्री राम नारायण चौधरी छात्रावास, एवं शिक्षण संस्थान, जोधपुर

15. मेवाड़ किसान एवं ग्रामीण समाज शिक्षा प्रसार समिति, उदयपुर – अध्यक्ष, श्री बनाराम चौधरी

16. जाट महासभा, प. बंगाल, अध्यक्ष – श्री सुल्तान सिंह

17. जाट महासभा, पुर्वांचल, अध्यक्ष – श्री हरफुल सिंह चौधरी

18. जाट समाज कल्याण परिषद्, ग्वालियर, अध्यक्ष – **श्री किशन सिंह जाट,** एडवोकेट

19. श्री तेजा मन्दिर ट्रस्ट, सेक्टर–ए–तलामडी, कोटा – बालिका छात्रावास
1. अध्यक्ष – डॉ0 शीला चौधरी 2. सचिव – डॉ0 बी एस बालिमान

20. वीर तेजा जाट समाज ट्रस्ट, बीकानेर
1. अध्यक्ष – टीकूराम कस्वां 2. महामंत्री – भरत कुमार ठोलिया

देश–भक्ति की भावना, व्यक्ति तथा समाज के गौरव का प्रतीक होता है। वह ऐसे राष्ट्र में, देखने को कम मिलती है जो जाति तथा धर्मों में बंटा हुआ होता है। वर्ग, जाति तथा धर्मों में बंटा, जन्मभूमि को वर्ग में भी अधिक गरिमामय नहीं मानता। ऐसे समाज में, लोग किसी एक सामाजिक तथा राष्ट्रीय प्रश्न पर एक मत नहीं हो पाते। इस एकता का अभाव, राष्ट्र के विकास तथा उत्कर्ष में कोढ के समाज होता है। – **चरण सिंह**

विनम्रता और अहंकार

–इन्दिरा पूनियां

दया धर्म हृदय बसे, बोले अमरत बैन ।
तेई ऊँचा जानिये, जिनके नीचे नैन ।।

परब्रह्म परमेश्वर की कृपा से मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। इस जीवन यात्रा को कल्याणकारी कार्यों में लगाने से जीवन रूपी पुष्प की पंखुड़ियाँ खिलकर संसार को सुवासित करती है।

आज हमारे समाज में क्रोध, अहंकार, लड़ाई–झगड़े तथा आपसी मनमुटाव आदि विकार आ चुके हैं, इन सबका मूल कारण अहंकार है, यदि इस अहंकार रूपी विष–बेल का नाश हो जाए तो इन सब दोषों का स्वतः ही शमन हो जायेगा और विनम्रता, समर्पणता का आगमन ।

विनम्रता समस्त गुणों का मूल है, इसी को लक्ष्य करके हमारे धर्म ग्रन्थों में कहा गया है कि घमण्ड फरिश्तों को दैत्यों में बदल देता है, विनम्रता मनुष्य को फरिश्ता बना देती है। धर्म के मार्ग पर चलकर जब सफलता प्राप्त की जाती है, तब व्यक्ति अहंकाररहित बना रहता है। विनम्रता से रहित व्यक्ति को सफलता नही मिलती। अहंकार बहुत ही प्रिय वस्तु होता है, साथ ही अनिष्टकारी भी होता है। यह भाव ही ऐसा है, धर्म को अधर्म, पुण्य को पाप में बदल देता है।

हमारे जाट समाज के युवा वर्ग को इस और विशेष ध्यान देना चाहिये कि जीवन–निर्माण में विनम्रता, संयम, सन्तुलन, समर्पण का बहुत महत्व है वे अपने आपको इस प्रकार ढालें कि अपनली क्षमता का व्यर्थ ह्यास न हो। हमार ध्येय तो अपना सुधार करना है, प्रत्येक स्थिति में प्रगति के पथ पर चलना है, प्रयत्नशील बने रहता है, बाधाओं को दूर करने का उपचार विनम्रता है, शालीनता है। जिस समाज या समुह के लोग अहंकार रहित है शालीन, शिष्ट तथा व्यवहार कुशल है, वह समाज या समूह पनपता है, सहकारिता की भावना आती है। किसी से कुछ पाने के लिये उसके सिर पर नहीं, अपितु चरणों में झुकना पड़ता है, बड़ा वह है जो सबको बड़ा समझे, अक्सर हम उपलब्धियों में भरकर अहंकारी बन जाते हैं, दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि वह हमारा आदर–सत्कार करे, हमारे आगे झुके, पर ऐसा होता नहीं है, अगर यही सब अहंकार रहित होकर किया जाये तो सामने वाला भी विनम्र बन जाएगा।

अहंकार मृत्यु है, विनम्रता मुक्ति है। अहंकार आत्मा और परमात्मा के बीच दीवार का कार्य करता है। विनम्रता रहित जीवन ऐसे जलयान के समान हो जायेगा जिसमें राडार नहीं है तथा समुन्द्र की लहरें उसे अनिश्चित दिशा में ले जायेगी। जो सुख निम्रता और समर्पण में है। वह अहंकार में नहीं। अहंकारी को यमराज का बुलावा भी जल्दी आता है, विनम्रता मर कर भी अमर है। हमारे महापुरूष श्रीराम, कृष्ण, गांधी, भगवान महावीर इनमें अहंकार नहीं था, समर्पण का भाव था, दयालु थे इसलिये वे आज भी अमर है। मात्र जीवित रहने का नाम जीवन नहीं है बल्कि मूल्यवान–उपयोगी जीवन ही सच्चा जीवन है, अहंकार रहित विनम्रता तथा समर्पण से लबालब भरा जीवन का सार है, मानवता की पूजीं है।

कद्दूवर्गीय सब्जियों के प्रमुख रोग एवं उनकी रोकथाम

–विजयपाल कस्वां एवं डी.एस.एल. गोदारा
राज. कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर

कद्दूवर्गीय सब्जियाँ गर्मी के मौसम में तैयार होने वाली सब्जियाँ है। अधिकांश सब्जियां या तो वर्षा ऋतु में या फिर सर्द ऋतु में पैदा की जाती है। ग्रीष्म ऋतु में अधिकांश हरी सब्जियों का अभाव आ जाता है। अतः अभाव के इन दिनों में कद्दूवग्रीय सब्जियागें द्वारा हरी सब्जियों की मांग की पूर्ति होती है। इस वर्ग की सब्जियाँ गर्मी में काफी पैदावार देती है। रबी की फसलों की कटाई के बाद खेत खाली ही रहता है। अतः कृषकों द्वारा गर्मियो ंके दिनों में कद्दूवर्गीय सब्जियों को अपने खेतों में उगाने से खाली खेतों का दुपयोग होकर इनकी उचित सार–संभाल ली हो जाती है। अन्य सब्जियां इन दिनों उपलब्ध हनी होने के कारण बाजार में इनका अच्छा भाव मिल जाता है। अतः इन दिनों कद्दूवर्गीय सब्जियों की खेती से अच्छा लाभ प्रापत होता है। इनमें मुख्यतया–कद्दू, करेला, लौकरी, ककड़ी तुरई, पेठा, परवल, टिण्डा, खीरा आदि प्रमुख है। इन सब्जियों से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, फास्फोरस और लोहा जैसे खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। तथा इन सब्जियों का औषधीय दृष्टि से भी बहुत बड़ा महत्व है। जैसे करेला गठिया रोग, ककड़ी नक के साथ कच्ची खाने पर पेट के विकारों एवं मूत्र विकारों में लाभकारी होती हैं खरीरा मधुमेह व ह्दय रोगी के लिए लाभकारी है। परवल के ुल पेट विकारों में लाभकारी है। तथा परवल की सब्जि, कब्ज दूर करने वाली, मूत्र प्रणाली को साफ करने में सहायक, ह्दय, मस्तिष्क तथा रक्त संचरण तन्त्र में उपयोगी है। इन सब सब्जियों में से लौकी को सबसे अधिक स्वास्थ्य लाभकारक माना जाता है। लौकरी कब्ज को रोकता है। तथा इसके गूदे का सेवन मूत्र रोग व पेट साफ करने के लिए बहुत उपयोगी है। इस वर्ग में खरबूजा एवं तरबूज भी सम्मिलित है। परन्तु इनका उपयोग फल के रूप में किया जाता है।

यद्यपि कद्दूवर्गीय सब्जियों का उत्पादन राजस्थान में अच्छा होता है परन्तु बहुत से कीट व रोग इन सब्जियों के उत्पादन को प्रभावित करते हैं। इन सब्जियों की फसल में लगने वाले रोग इस प्रकार है :–

1. छाछ्या या चुर्णिल आसिता रोग –

यह रोग एरिसाइफी सिकोरिसियेरम और स्फिेरियोथिका फ्यूलियजेना नामक फंफूद से होता है। इस रोग के कारण कद्दूवर्गीय सब्जियों की बेलों व पत्तियों पर तथा अधिक प्रकोप होने की स्थिति में डण्ठलों व फलों पर सफेद चूर्ण सा जमा हो जाता है। इससे बेलों की बढवार रूक जाती है। पत्तियां सूखना प्रारम्भ हो जाती है। फल भी कमजोर हो जाते हैं। तथा पैदावार कम हो जाती है। यह रोग मुख्य रूप से वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान

पर फैलता है।

रोकथाम –

इस रोग की रोकथाम के लिए केराथेन एल.सी. 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए तथा आवश्यकता पड़ने पर 15–15 दिन की अन्तराल पर छिड़काव को दोहराते रहना चाहिए।

इस रोग की रोकथाम सल्फर पाउडर अर्थात गन्धक का चूर्ण 25 किलो प्रति हैक्टेयर भुरकाव करके भी की जा सकती है।

2. तुलासिता या मृदुरोमिल आसिता रोग –

यह रेाग स्यूडोपेरोनोस्पोरा क्यूबेन्सिस फफूंद से होता है। इस रोग के प्रकोप से कद्दूवर्गीय सब्जियों की पत्तियों के नीचे की सतह पर फफूंद सी जीम हुई प्रतीत होती है। तथा ऊपर सतह पर पीले–पीले धब्बे बन जाते हैं। इस रोग से खीरा, तोरई तथा खरबूजे में अधिक हानि होती है।

रोकथाम –

अधिक रोगी बेलों को काटकर डायथेन जेड–78 या मेन्कोजेब (डायथेन एम–45) 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से 10 दिन के अन्तर से छिड़काव करना चाहिए। तथा ब्लाइटोक्स 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करके भी रोग की रोकथाम की जा सकती है। जहां संभव हो रोग रोधी जातियों का उपयोग करना चाहिए जैसे खरीरे की पामेटो जाति।

3. एन्थ्रेकनोज या झुलसा रोग –

यह रेाग कोलिटोट्राक्म नेजिनेरियम नामक फफूंद से फैलता हैं इस रोग से विशेष तौर पर खरबूजे, लौकर व खीरे में अधिक हानि होती है। यह रेाग पर्ण शिराओं पर धब्बे के रूप में दिखाई देता है। जो बाद में लगभग 1.00 सेन्टीमीटर व्यास के हो जाते हैं। इनका रंग भूरा तथा आकार कोणीय होता है। रोगग्रस्त पत्तियाँ कई धब्बों से मिलने के कारण सूख जाती है। अनुकूल वातावरण में यह धब्बे पौधों व अन्य भागों व फलों पर भी पाये जाते हैं। यह रोग मुख्य रूप से मृदोढ़ है परन्तु बीज द्वारा भी फैलता है।

रोकथाम –

बीजों को थाइरम 2 ग्राम प्रति किलो बीज या एग्रोसान जी.एन. 2–2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करके बुवाई करनी चाहिए।

रोग के लक्षण दिखाई देते ही मेन्कोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर या केप्टान 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर छिड़काव को 15 दिन से दोहराते रहना चाहिए।

लगातार......

इतिहास के पन्नों से......

–एम.आर. सिहाग,
पटेल नगर, बीकानेर

गतांक से आगे...........

o <u>सृष्टि की रचना के सन्दर्भ में जाट जाति की उत्पत्ति :–</u> पिछले अध्याय में, कुछ भारतीय तथा कुछ विदेशी विद्वानों के मतों के आधार पर, इस प्रश्न पर विचार किया जा चुका है कि जाटों की उत्पत्ति यदि भारत में हुई थी तो कहां ? यदि भारत से बाहर हुई थी तो किस स्थान पर ? इसके अतिरिक्त, विचार इस बात पर भी किया जा चुका है कि जाट 'आर्य है' अथवा 'बाहीक', जैसा कि महाभारत में कहा गया है और वे हूणों की संतान हैं अथवा वे सिथियनों के वंशधर हैं ?

इन प्रश्नों पर विचार करते समय, यह तथ्य हमेशा सामने रहा है कि पुराणकारों ने जिस प्रकार मानव की उत्पत्ति के सिद्धान्त को, विकासवाद के वैज्ञानिक सिद्धान्त से दूर हटाकर, उसे काल्पनिक बना दिया है और इस प्रकार एक ठोस सत्य पर, असत्य का आरोपण करके, हम भारतीयों को बड़े लम्बे समय तक, वास्तविक, सच्चाई से दूर रखा है, उसी प्रकार इस वर्ग विशेष ने, अपने वर्ग तथा जाति के हितों की रक्षा के लिए, जाटों की उत्पत्ति, उनके सामाजिक तथा सांकृतिक गौरव, और ऐतिहासिक महत्व पर पर्दा डालने की कोशिशें भी की हैं। इस अंधकार के पर्दे से हटाकर, सच्चाई जानने से पहले, आवश्यक यह प्रतीत होता है कि मानव की उत्पत्ति के वैज्ञानिक सिद्धान्त पर पहले विचार किया जाये और उसके बाद, भारत की भूमि पर मानव के जन्म और उसके विकास की लम्बी प्रक्रिया में, जाट–जाति की स्थिति का निर्धारण किया जाये।

इस पृथ्वी पर सृष्टि की रचना कैसे हुई ? इस संबंध में पुराण तथा स्मृति–ग्रंथों में कहा गया है– 'मनु' को उत्पन्न करने वाला परमात्मा है। इसलिए उसने पहले जल पैदा किया, फिर उसमें बीज डाला। बीज ने अंडे का रूप धारण किया। उससे पितामह ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा ने अंडे के दो भाग किए। दोनों भागों से ब्रह्मा ने पृथ्वी और स्वर्ग बनाये। फिर दोनों के बीच में आकाश, आठ दिशा तथा समृद्र बनाया। फिर वेदों की रचना की। ब्रह्मा ने ही अग्नि, वायु और सूर्य की रचना की। साथ ही ऋग्, अथर्व, यजुर और साम वेद का निर्माण किया। आगे कहा गया है कि ब्रह्मा ने, अपने शरीर के दो–भाग करके आधे भाग से पुरूष और आधे से स्त्री को बनाया। तत्पश्चात् स्त्री के साथ संगम करके एक विराट पुरूष को जनम दिया। उस विराट पुरूष ने तप करके जिसकी रचना की थी, वह 'मनु' थे। तब मनु ने दस बड़े ऋषियो ंका निर्माण किया। इसमें मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, तुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भगु और नारद आदि की गणना होती है। इन सात बड़े ऋषियों ने सात बड़े तेजस्वी मनुओं, देवताओं, स्वर्गों महाप्रतापी दो–बड़े ऋषियों को उत्पन्न किया। इसके बाद, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, असुर, नाग, बासुकि, सर्प तथा गरूड़ आदि पक्षी तथा पितरों के समूह बनाए। फिर बिजली, मेघ, रोहित, इन्द्रधनुष, उल्का–केतु और तारागण बनाए गए। तत्पश्चात् किन्नर, बानर, विविध मत्स्वय, पशु–पक्षी, मृग, मनुष्य और द्विदन्त सर्प आदि को बनाया गया। सृष्टि–रचनान का उक्त सिद्धान्त न तो सत्य पर आधारित है, न मानव–उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धान्त के अनुकूल हैं, जो अधिक तथ्यपूर्ण तथा वैज्ञानिक माना गया है। यह कैसे संभव

हो सकता है कि अंडे के दो–भाग किए गए और उसका अस्तित्व बना रहा। इसी तरह यह तथ्य भी अविश्वसनीय है कि ब्रह्मा ने अपने शरीर के दो भाग करके एक से पुरूष की रचना कर दी और दूसरे से स्त्री की। फिर उसी स्त्री के साथ संगम करके एक विराट पुरूष पैदा किया। यह कहना भी संगत नहीं है कि ब्रह्मा ने वेदों की रचना की, सिद्ध हो चुका है कि वेदों की ऋचाओं के बनाने वाले वैदिक–काल के ऋषि थे। अतः यह कहना ही अधिक संगत होगा कि मनुस्मृति द्वारा प्रतिपादित सृष्टि–उत्पत्ति का यह सिद्धान्त काल्पनिक है। साथ ही अविश्वसनीय भी।

मनुस्मृति ही नहीं, पुराणों में भी सृष्टि–उत्पत्ति की कहानी, थोड़े–बहुत अन्तर के साथ, इसी प्रकार वर्णित की गई है। एक स्थान पर कहा गया है कि प्रजापति की दो संतोनें थीं – एक दैव और दूसरी असुर। भूमि के प्रश्न पर दोनों में विवाद खड़ा हो गया। तब यज्ञ रूप विष्णु ने, देवों के आगह पर एक पग में पृथ्वी, दूसरे में अंतरिक्ष और तीसरे में उत्तम दिवस्थान को नांप कर देवों को सौंप दिया। भूमि–निर्धारण के समय असुरों का कोई प्रतिनिधि न था, फिर भी भूमि उनमें बांटी गई। इसी पृष्ठ पर यह भी कहा गया है कि देवों ने विष्णु को आगे करके यजुर्वेद के अध्याय एक के सत्ताइसवें मंत्र 'गायत्रेण त्वा' आदि को पढ़ते हुए चारों दिशाओं में बढ़ना आरंभ किया, इस तरह उन्होंने सम्पूर्ण पृथ्वी प्राप्त की ली। संभवतः यही कारण 'देवासुर संग्राम' का रहा होगा। मानव की उत्पत्ति का यह सिद्धान्त भी काल्पनिक, अविश्सनीय और अवैज्ञानिक है।

'मत्स्य पुराण' सृष्टि–उत्पत्ति की एक दूसरी कहानी का वर्णन करता है, जो उक्त कहानी से कुछ मिलती भी है। इसमें कहा गया है कि 'मनु ने अवनेजन (हाथ–पैर धोने के लिए) हाथों में पानी लिया, उसमें उसके हाथ में एक मछली आ गई। मछली बोली – ''मेरा पालन कर मैं तुझे पार करूंगी।'' मनु ने ऐसा ही किया। जब मछली बड़ी हो गई और उधर प्रलय का पानी बढ़ने लगा, तब मनु ने एक नावं बनाई। उसमें अपनी प्रजा को बिठाया और उस नांव को मछली ने पार लगा दिया। इस प्रकार मनु बच गए। प्रजा उत्पन्न करने के लिए मनु ने तप किया और यज्ञ द्वारा दही, दूध, घी आदि की आहुति जल में दी। एक वर्ष पीछे एक स्त्री उत्पन्न हुई। उसने स्वयं को मनु की पुत्री बताया। उसने मनु से कहा कि 'मुझे यज्ञ में स्थापित कर।' यदि तू ऐसा करेगा तो बहुत सी प्रजा और पुश होंगे। महाभारत के –वन पर्व' में भी इस की कथा है। इन कथाओं से संकेत यही मिलता है कि पुराण तथा मनुस्मृति के रचनाकारों ने सृष्टि–उत्पत्ति के ऐसे आख्यान प्रस्तुत किए हैं, जिन पर आज के वैज्ञानिक युग में विश्वास नहीं किया जा सकता। यथार्थ में, पुराणकारों का उद्देश्य इतिहास लिखना न था, उनका एक मात्र उद्देश्य था ऐसे साहित्य का लेखन, जिससे उनके वर्ग के महत्व का प्रतिपादन होता हो, उनके वर्ग को ज्ञान का केन्द्र जाना जा सके, परोक्ष सत्ता के साथ उसके निकट सम्बन्ध की जानकारी हो सके और वह राज–सत्ता के भाग्य का विधाता भी बन सके। ऐसा हुआ भी। उसने समस्त समाज को, अपने विचार के धागों से बांधने का प्रयास किया था और जिस किसी ने, उनके बे–सिर–पैर के सिद्धान्तों को मानने से इंकार कर दिया, उसी को उन्होंने मलेच्छ, असुर, दैत्य, दानव और बाहीक (बाहर का) कहना प्रारंभ कर दिया। जिस राजा ने, उनके धर्मिक आडम्बरों की सीमा से बाहर निकलेन का प्रयास किया, उसी का उन्होंने क्रूर, अन्यायी तथा

धर्म–विराधी कहकर बदनाम करने का कार्य किया। वह राजा चाहे ' नहुषय' रहा हो और चाहे 'वेनु'। अपनी ख्याति और अधिकार–रक्षा के प्रयासों में, पुराणकारो, स्मृति–ग्रंथों के लेखकों और यहां तक कि ब्रह्मऋषि कहे जाने वाले लोगों ने, इस देश के इतिहास के साथ अन्याय किया है। क्या यह संभव हो सकता है कि मछली आदमी की भाषा बोल सके ? क्या यह भी संभव हो सकता है कि प्रलय में सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद मनु को यज्ञ में आहुति देने को दही, दूध तथा घी मिल गया था ? ये सब बातें यज्ञ के प्रचार, अपने ज्ञान का सिक्का बिठाने तथा पुरोहित वर्ग का महत्व स्थापित करने के लिए कही गई थी। मानव–जाति के इतिहास लेखन के लिए नहीं। इनमें केवल प्रचार है, इतिहास का सत्य नहीं। यही कारण है कि जाटों का इतिहास लिखने वाले अधिकांश लेखक, सृष्टि के विकास संबंधी पौराणिक मत के ही अनुयायी हो गए हैं। वे पुराणकारों के प्रचार से बाहर निकलकर सृष्टि के विकास का वैज्ञानिक मत प्रस्तुत नहीं कर पाए।

पुराणों में वर्णित मानव–वंशो का अध्ययन पार्जिटर ने 'एन्सिऐंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडीशन' (1922) तथा डॉ. सीतानाथ प्रधान ने 'क्रोनोलॉजी ऑफ ऐसियेन्ट इण्डिया' (1927) नामक कृतियों में किया ह। बाद के लेखकों ने, मानव–वंशावलियां प्रस्तुत करने के लिए, उक्त दोनों विद्वानों को आधार बनाया है। इनके अतिरिक्त, 'विष्णु पुराण' तथा 'हरिवंश पुराण' का सहारा भी उक्त कार्य के लिए लिया गया है।

पुराणों के अनुसार ब्रह्मा के मानस–पुत्र 'मरिचि' थे। उनकी संतान थे। 'कश्यप'। 'कश्यप' द्वारा 'दक्ष' की पुत्री 'अदिति' से 'सूर्य'। 'वैवस्वत मनु' इन्हीं सूर्य के पुत्र थे। मनु चौदह माने गए हैं –1. स्वायम्भुव, 2. स्वारोचिष, 3. उत्तम, 4. तामस, 5. रैवत, 6. चाक्षुस, 7. वैवस्वत, 8. सावर्णि, 9. ब्रह्मसावर्णि, 10. दक्षसावर्णि, 11. धर्मसावर्णि, 12. रूद्रसावर्णी, 13. देवसावर्णि और 14. इन्द्रसावर्णि। कहा गया है कि 'मनु' के साथ 'बुध' भी भारत आए थे। मनु–पुत्री 'इला' का विवाह 'बुध' के साथ हुआ था। इन दोनों से चन्द्रवंश का प्रारम्भ हुआ और 'मनु' की संतानों से सूर्य वंश का।

उक्त चौदह मनुओं में 'स्वायम्भुव मनु' पहले थे। इनके दो पुत्र हुए 1. 'प्रियव्रत' और 2. 'उत्तानपाद' । दोनों पुत्रों के अतिरिक्त मनु की तीन पुत्रियां भी थीं– 1. आक्रूति, 2. प्रसूति और 3. देवहूति। देवहूति का विवाह पुलह के पुत्र 'कर्दम' ऋषि के साथ हुआ और इन दोनों की पुत्री का विवाह 'प्रियव्रत' के साथ प्रियव्रत के नौ पुत्र हुए, जिनमें 1. नाभि, 2. ऋखवदेव, 3. भरत विशेष उल्लेखनीय हैं। हमारे देश का नाम भारतवर्ष इन्हीं भारत के आधार पर हुआ है। आपकी मान्यता यह भी है कि तुलसी इसको 'भारतभूमि' कहते हैं। आप यह भी कहते हैं कि इसका पहला नाम 'अजनामवर्ष' था। भरत के नाम पर भारत पड़ा । आप यह भी स्वीकार करते हैं कि मनु की संज्ञा 'भरत' थी। जिससे देश का नाम भारत वर्ष पड़ा। उत्तानपाद के वंशजों में चाक्षुष मनु, वेन, पृथु, प्रचेतस और दक्ष प्रमुख माने गए हैं।

'बुध' और 'इला' के संसर्ग से चले चन्द्रवंश में पहला पुत्र 'पुरूरबस' था। इनका बेटा 'नहुष' था और नहुष का 'ययाति'। ययाति के पांच पुत्र 1. यदु, 2. तुर्वसु, 3. द्रहयु, 4. अनु और 5. पुरू थे। ययाति ने, अपने राज्य का विभाजन करते समय 'यदु' को अपने राज्य का दक्षिण–पश्चिम भाग सौंपा, तुर्वसु को वह ।

शेष अगले अंक में.............

महिला सशक्तिकरण

–श्रीमती इन्दिरा पूनियां

1. महिलाओं व बालिकाओं में जागृति लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 'महिला नीति' मार्च, 2000 से लागू की है। महिला नीति का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं के स्तर में सुधार करने व शोषणकारी कूरीतियों को समाप्त करने हेतु ऐसे कानून बनाना है जिससे महिलाओं व बालिकाओं के विकास एवं कल्याण में सहायक वातावरण तैयार हो सके।

2. 2000–2015 तक सहस्ताब्दी के विकास लक्ष्यों में महिला जागृति और सशक्तिकरण के सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

3. महिला जागृति एवं उत्थान के लिए 2001 से महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति लागू की है।

4. पंचायती राज व स्थानीय स्वशाषी संस्थानों में महिलाओं को एक–तिहाई पदों पर राजनैतिक आरक्षण 73वें व 74वें संविधान संशोधन (1993) के तहत दिया गया है।

5. स्वर्ण–जयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु लागू की है, जिसके तहत 40 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं के लिये आरक्षित है।

6. ग्रामीण क्षेत्रों में महिला–बाल–विभाग द्वारा आंगन–बाड़ी कार्यक्रम एवं बाल–विकास योजनाएं, गरीब महिलाओं हेतु संचालित किये जा रहे हैं।

7. महिलाओं के लिए सरकार ने 'स्टाम्प–शुल्क' 11 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है।

8. 'मातृ–शिशु' मृत्युदर घटाने के लिये 12 अप्रेल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन की शुरूआत की है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब महिलाओं व न्वजात शिशुओं को निःशुल्क दवाएं तथा डॉक्टरी सहायता मिल सके।

9. जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत, गरीब महिलाओं को गर्भावथा के दौरान जाँच एवं प्रसव अस्पताल में करवाने पर ग्रामीण महिला को 700/– रूपये व शहरी महिला को 600 रूपये नगद देने की व्यवस्था की गयी है।

10. सरकारी रोजगार में 30 प्रतिशत सीट महिलाओं के आरक्षित है।

11. महिलाओं को जागृत करने एवं विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिये प्रदेश में महिला स्वःसहायता समूह एक लाख से अधिक गठित किये जा चुके हैं।

12. बजट में जेण्डर ऑडिट का प्रावधान राज्य सरसरकार ने लागू किया है।

13. बालिकाओं को पढ़ने लिखने की पूर्ण सुविधा दी गई है तथा सरकारी स्कूलों में कक्षा 12 तक निशुल्क पुस्तकें भी प्रदान की जाती हैं।

14. महिलाओं की सुरक्षा एवं अधिकारों के लिए राज्य में महिला आयोग का गठन भी किया हुआ है जो महिलाओं के हितों व अधिकारों के संबंध में शिकायत दर्ज कर उनकी सुनवाई भी करता है।

15. बाल विवाह प्रथा को कानूनी तौर से अपराध घोषित किया हुआ है। 18 वर्ष से कम की लड़की व 21 वर्ष से कम के लड़के का विवाह निषेध माना गया है। ऐसा विवाह करने वाले या करवाने वाले तथा विवाह में सम्मिलित होने वालों को तीन माह की सजा व जुर्मानें का प्रावधान है।

16. कामकाजी महिलाओं के उत्पीड़न की रोकथाम के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं तथा महिलाओं के उत्पीड़न को भी परिभाषित भी किया है, जिसके अन्तर्गत किसी भी महिला से भद्दी टिप्पणी करना या यौन संबंधी क्रिया – कलाप करना आदि सम्मिलित है। कामकाजी महिलाओं के साथ उत्पीड़न की शिकायत होने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही का भी प्रावधान है।

17. पिछले कुछ वर्षों में समाज में महिलाओं की समस्याओं में बढ़ोतरी हुई है। पति द्वारा पत्नी को घर से निकालने या प्रताड़ित करने अथवा भरण पोषण न करने पर ऐसी स्थिति में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 से 128 तक में वृद्ध माता–पिता, पत्नी व अव्यस्क बच्चों के भरण पोषण की व्यवस्था है।

18. भरण पोषण के लिए आवेदन :– धारा 126 के अन्तर्गत भरण पोषण के लिए आवदेन जिले में सक्षम न्यायालय में किया जा सकता है :–

(1) जहां आवेदक है। (2) जहां वह या उसकी पत्नी निवास करती है। (3) जहां उसने अंतिम बार अपनी पत्नी के साथ निवास किया है।

19. शीतकालीन लोक सभा सत्र में लोकसभा एवं विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण हेतु संविधान में संशोधन प्रस्ताव लाये जाने की पूरी सम्भावना है। इससे महिलाओं की आवाज को ओर भी शक्ति मिलेगी।

20. महिलाओं को घरेलू हिंसा व उत्पीड़न से बचाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में कानून बनाया गया है, जो महिलाओं के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा।

पत्थर के निशान

गगन पचार
लूणकरणसर

बोपदेव नामक छात्र संस्कृत पढ़ रहा था। किन्तु संस्कृत–व्याकरण के कठिन सूत्रों को देखते ही वह घबरा जाता था। उसकी सामान्य बुद्धि सूत्रों के जाल में बुरी तरह उलझ कर रह जाती थी। उसे विद्यालय में नित्य ही अपने गुरूदेव की फटकार सहनी पडत्रती और अपने सहपाठियों का उपहास–भाजन बनाना पड़ता ।

उस व्यथा से व्यथित होकर एक दिन वह चुपचाप विद्यालय से निकल पड़ा। घर वापिस लौटने पर उसे अपने माता–पिता की प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता। अतः उसके किसी अन्य स्थान पर जाना ही उचित समझा ।

बिना किसी गन्तव्य का निश्चय किये वह निरूद्देश्य चला जा रहा था। गर्मी का मौसम था। थोड़ी दूर चलने पर ही उसे प्यास ने सताया। मार्ग में एक कुएँ पर कुछ स्त्रियाँ पानी भर रही थी। उसने उनमें से एक स्त्री से पानी पीने की इच्छा प्रकट की।

जब वह स्त्री कुएँ से पानी खींचने लगी तो बोपदेव की नजर रस्सी की रगड़ से घिस जाने वाले पत्थरों पर पड़ी। उसने मन में सोचा–जब रस्सी के बार–बार के घर्षण से पत्थर जैसी कठोर वस्तु में गड्ढा पड़ सकता है तो क्या पुनः–पुनः प्रयत्न करने पर वह संस्कृत में निपुण नहीं हो पायेगा ?

बस! इस क्रान्तिकारी विचार ने ही उसके जीवन को बदल दिया। पानी पीकर, उस महिला को धन्यवाद देकर वह अपने विद्यालय को लौट पड़ा और विद्यालय पहुँचने पर एकाग्र–चित्त होकर उसने पूरी लगन से पढ़ाई प्रारम्भ कर दी।

फिर क्या था ! जिस व्याकरण के कठिन सूत्र उसके जी का जंजाल बने हुए थे, उन्हीं को कण्ठस्थ कर लेना उसके लिए खेल हो गया।

कालान्तर में वह प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य बना और उसे 'मुग्ध–बोध' नामक विश्व–प्रसिद्ध व्याकरण–ग्रन्थ की रचना भी की ।

चाहे विद्या का क्षेत्र हो या कला का ! सफलता प्रापत करने के लिए केवल एक ही सूत्र या मन्त्र है – कठिन परिश्रम ! कठिन से कठिन परिश्रम!!

होळी बळबा की बखत, कुणसी बाजै बाय।
पूरब दिस की जे हौवे, राजा परजा सुख थाय।

होली मंगलाते समय यदि पूर्व दिशा की हवा हो तो राजा और प्रजा के लिए शुभ मानी जाती थी।

होळी बीती सावण आयो,
पांचै बीती पख बोळायो।।

होली बीतने पर सावन शीघ्र आ जाता है और पंचमी तिथि के बीतने पर पक्ष पूरा हो गया, ऐसा मान लिया जाता है।

तीजां पीछै तीजड़ी, होळी पीछै ढूंढ/धाबळो।
फेरां पीछै चूनड़ी, मार खसम के मूंड।

होली के बाद धाबले की क्या उपयोगीता ? कार्य समयनुरूप ही होना चाहिए।

गैली सासरे जावे कोनी,
जावे तो पाछी आवे कोनी।

अर्थात धुन का पक्का या तो कोई काम करता नहीं है और करता है तो फिर छोड़ता नहीं है।

नागो जाने म्हा सूं डरियो,
शर्मा मरता घर में बड़यो।

नंगा यह समझता है कि सामने वाला उससे डर गया इसलिए वो वहां से चला गया जबकि वास्तविकता यह होती है कि सामने वाले को उसे नंगा देख कर शर्म आ गई इसलिए वो वहां से चला गया। अर्थात् इज्जतदार आदमी अपनी इज्जत बचाने के लिए पीछे हट जाता है जिसका यह अर्थ नहीं कि वो दुर्जन से ड़र गया

समाज की कोई प्रतिभा आपकी जानकारी में हो, जिनका परिचय आप पूरे समाज से करवाना चाहें तो कृपया हमें लिखें या दूरभाष पर सम्पर्क करें।

सामाजिक झलकियां

उपजिला प्रमुख को भ्राता शोक –

बीकानेर, फरवरी 2007 – उपजिला प्रमुख प्रेमसुख साहरण के अनुज मोहनलाल साहरण पदमपुर तहसील के गांव फरसेवाला में रहते हुए 8 फरवरी, 2007 को हृदय गतिरूक जाने के कारण निधन हो गया। जिनकी उम्र 50 वर्ष थी। श्री मोहनलाल जी अपने गांव में रहकर कृषक का काम करते थे। स्व. श्री मोहनलाल साहरण अपने पिछे पत्नि व 2 लड़कों का परिवार छोड़ गये हैं। स्व. श्री मोहनलालजी का विवाह सार्दुल शहर तहसील के गांव दोदीवाला के श्री जयमलराम जी रिणवा के घर पर हुआ था।

साइक्लिस्टों का राष्ट्रीय खेलों में शानदार प्रदर्शन

गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में साइक्लिस्टों ने राजस्थान का पदक तालिका में खाता खोलते हुए कांस्य पदक जिला जिसमें राकेश कुमार, दयालाराम, श्रवण राम डूडी, शिवलाल चौधरी का प्रमुख योगदान रहा। राजस्थान के साइक्लिस्टों ने अन्य स्पर्दाओं में भाग लेते हुए 120 कि.मी. रेाड़ मास्ट स्टार्ट में पतराम जाट ने रजत पदक तथा 70 कि.मी. रोड़ टिम ट्रायल में कांस्य पदक जीता जिसमें पतराम जाट, दयालाराम सारण का प्रमुख योगदान रहा।

जाट परिचय मिलन समारोह–मेरठ

पारिवारिक मिलन जाट समाज शास्त्री नगर क्षेत्र, मेरठ ने जाट जाति के युवक/युवतियों एवं उनके अभिभावकों का एक परिचय सम्मेलन दिनांक 11 मार्च, 2007 प्रातः 10.00 बजे दिन रविवार को आर्य समाज, डी–ब्लॉक, शास्त्रीनगर के अतिथि भवन में आयोजित करने का फैसला लिया है ताकि इस सम्मेलन के द्वारा ''दहेज रहित'' शादियां कराई जा सके अतः जाट भाईयों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर इस कार्यक्रम को सफल बनायें।

–'ले0कर्नल संसार सिंह दुहून (प्रमुख संयोजक)

बीकानेर के कैडेटों की स्वर्णिम सफलता

गणतंत्र दिवस पर एनसीसी की परेड में बीकानेर के कैडेटों ने एक स्वर्ण समेत चार पदक जीते। अण्डर ऑफिसर विजय चौधरी ने एक स्वर्ण व एक रजत पदक जीता। विजय को बेस्ट राइडर रनर अप का खिताब भी मिला। सीनियर अण्डर ऑफिसर लक्ष्मण राम जाट ने अच्छी ड्रिल व जज्बा दिखाया तथा 49 कैडेटों में उनका चयन हुआ। अण्डर ऑफिसर सुशिल चौधरी का भी पैरेड में सराहनीय योग्दान रहा । एनसीसी राजस्थान निदेशालय के उपमहानिदेशक एयर कमोडोर रमेश मल्होत्रा व जोधपुर ग्रुप कमाण्डर कर्नल वजीर सिंह देशवाल ने कैडेटों की इस सफलता पर बधाई दी।

कृपया समाज से जुड़ी सामाजिक गतिविधियों की जानकारी दूरभाष या पत्र द्वारा हमें भिजवावें, जिसके पत्रिका में प्रकाशित होने से समाज के अधिक लोग उन सामाजिक गतिविधियों से जुड़ सके।